6वीं वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

INFRA & SERVICES

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
सामान्य	
वार्षिक आम बैठक की सूचना	
निदेशक की रिपोट	
फॉर्म एमजीटी-59 में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण	
फॉम एओसी-2 मे संबंधित पक्षो के साथ संविदाओ और व्यवस्थाओ का विवरण	
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोट	
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	
तुलन पत्र	
लाभ और हानि का विवरण	
रोकड़ प्रवाह विवरण	
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ-नोट सं.1	
प्रकटनों सहित लेखों में टिप्पणियां -नोट सं. 2 से 51	
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	

निदेशक मंडल

हितेश खन्ना	सुरजीत दत्ता
अनिल जैन	ए.के.गोयल

(अंशकालीन निदेशक)

पंजीकृत कार्यालय

प्लाट सं. -सी 4,
डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी	:	सी.के.नैय्यर
मुख्य वित्त अधिकारी	:	अनिकेत खेत्रपाल
कंपनी सचिव	:	दीपशिखा गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
906, विक्रम टावर, 16 राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली - 110008

मुख्य बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक
एचडीएफसी बैंक

अध्यक्ष का भाषण

गणमान्य शेयरधारकों,

इरकॉन आईएसएल की छठी वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सहित निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही आपको उपलब्ध कराई गई है और मैं मानता हूं कि आपने उन्हें देख लिया होगा।

आरंभ में, मैं कंपनी के कार्य निष्पादन के ब्यौरे को संक्षिप्त रुप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कंपनी में प्रचालनिक राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि हुई है जो 36.39 करोड़ रुपए हो गया है और कुल राजस्व 41.51 करोड रुपए है जो पिछले वर्ष से 30 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने 20.29 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया है जो कि 51% प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी को 10.93 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ प्राप्त हुआ है।

प्रचालनिक विशेषता

आपकी कंपनी चौबीस (24) चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के विकास के लिए रेल मंत्रालय की परियोजना को निष्पादित किया था । इन सभी स्टेशनों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

कंपनी नें, हुबली, कन्नूर, मैसूर, बर्धमान, हैदराबाद, बिलासपुर, जम्मू, उदयपुर, हरिद्धार आदि 19 बहुउद्देशीय परिसरों को तीसरे पक्षों को उप-पट्टे पर दे दिया है। इन 19 बहुउद्देशीय परिसरों में से 11 बहुउद्देशीय परिसर प्रचालनिक हो गए हैं यथा हरिद्धार, ग्वालियर, उदयपुर, रायपुर, कानपुर, हुबली, बर्धमान आदि।

इलाहबाद और उदयपुर में बहुउद्देशीय परिसरों का उद्घाटन माननीय रेल राज्य मंत्री द्वारा किया गया था और ग्वालियर में बहुउद्देशीय परिसर का उद्घाटन माननीय इस्पात एवं खनिज मंत्री द्वारा किया गया था।

इरकॉन आईएसएल ने म्यामार के तमु-कलेवा खंड में 71 पुलों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय से परमार्शदात्री परियोजना भी प्राप्त की थी। वर्ष के दौरान, दिनांक 20.02.2015 को विदेश मंत्रालय को इस संबंध में अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

आपकी कंपनी को विदेश मंत्रालय से एक अन्य परामर्श परियोजना भी प्राप्त हुई थी, जो म्यांमार के रखिने राज्य में मोंगटाव-अलेथनाक्याव रोड के लिए डीपीआर तथा व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए म्यांमार गणराज्य के लिए थी। इस करार पर दिनांक 22 अगस्त 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे।

आपकी कंपनी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), साउथ इस्ट कोल फील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) तथा पावर फाइनांस कॉर्पोरेशन (पीएफसी)जैसे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए *स्वच्छ भारत अभियान* के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के प्रावधान का कार्य पूरा किया है। इस कार्य को 15/08/2015 से पूर्व पूरा कर लिया गया है।

निगमित शासन

आपकी कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के इष्टतम प्रयास कर रही है। कंपनी का दर्शन व्यवसाय के नैतिक आचरण को संवर्धित करने के लिए अपने संव्यवहारों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना और लागू नियमों, कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के सीपीएसई हेतु निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के पैरा 8.3 के अंतर्गत तिमाही अनुपालन रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय (मंत्रालयों)/विभाग (विभागों) को भेजी गई है। आवश्यक विवरण प्रारुपों को उपलब्ध कराते हुए निगमित शासन पर एक पृथक भाग को निदेशक की रिपोर्ट का भाग बनाया गया है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से मैं रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), तथा अपनी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा शेयरधारकों का भी, उनके निरंतर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहन भावना कंपनी को प्रगति की ओर अग्रसर करने की कुंजी है। अंत में मैं, अपने ग्राहकों, वेंडरों तथा साझेदारों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

हितेश खन्ना
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 02789681)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : .11.2015

इरकॉन आईएसएल के गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को वर्ष 2014-15 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की समीक्षा सहित कंपनी की छठी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

प्रचालन निष्पादन

क. आपकी कंपनी ने भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं के लिए सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिह्नित रेलवे स्टेशन परिसरों में रेल मंत्रालय के लिए बहु-उद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य आरंभ किया था। 24 स्टेशनों पर निर्माण (वॉर्म शेड) कार्य आरंभ हो गया था और ये स्टेशन हैं एल्लेप्पी, बर्धमान, दिघा, हरिद्वार, इंदौर, रामपुरहाट, रायपुर, सिलिगुड़ी, मदुरै, मैसूर, उदयपुर, इलाहबाद, बिलासपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, हुबली, जबलपुर, जोधपुर, कन्नूर, राजगीर, तारापीठ, तिरुवल्ला, जम्मू (बजट होटल सहित एमएफसी) तथा जम्मू एएफसी (छोटा)। सभी स्टेशनों पर कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

दिनांक 04.07.2013 को रेल भूमि विकास प्राधिकरण के साथ "भारतीय रेल भूमि पर बहु-उद्देशीय परिसरों के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण" के लिए पट्टा करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, इरकॉन आईएसएल ने 19 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक उप-पट्टे पर दे दिया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कंपनी ने 12 बहुउद्देशीय परिसरों यथा रामपुरहाट, राजगीर, रायपुर, जम्मू, उदयपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, जोधपुर, हरिद्वार, मदुरै तथा तिरुवल्ला को उप-पट्टे पर दे दिया है।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, 11 बहुउद्देशीय परिसरों को प्रचालनिक किया गया है जिनमें होटलों सहित 6 बहुउद्देशीय परिसर भी शामिल हैं, जिनके नाम हैं हरिद्वार, ग्वालियर, उदयपुर, रायपुर, कन्नूर, हुबली, और दुकानों व फूड प्लाजा वाली यात्री सुविधाओं वाले 5 बहुउद्देशीय परिसर यथा बर्धमान, हैदराबार, रामपुरहाट, बिलासपुर और थिरुपल्ली शामिल हैं। इलाहबाद और उदयपुर में बहुउद्देशीय परिसरों को माननीय रेल राज्य मंत्री द्वारा सफलतापूर्वक आरंभ किया गया था और ग्वालियर के बहुउद्देशीय परिसर का उद्घाटन माननीय इस्पात एवं खनिज मंत्री द्वारा किया गया था।

शेष बहुउद्देशीय परिसरों यथा तारापीठ, एलेप्पी, दिघा, सिलिगुढी तथा जम्मू (लघु) को उप-पट्टे पर दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ख. इरकॉन आईएसएल ने म्यामार में कलादन बहु-मॉडल ट्रांजिट परियोजना के पलेटवा से भारत-म्यामार सीमा तक सड़क भाग का डीपीआर तैयार करने हेतु विदेश मंत्रालय के लिए परामर्श का कार्य निष्पादित किया है। इरकॉन आईएसएल ने म्यामार के तमु-कलेवा खंड में 71 पुलों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय से परमार्शदात्री परियोजना भी प्राप्त की थी। वर्ष 2014-15 के दौरान, दिनांक 20.02.2015 को विदेश मंत्रालय को इस संबंध में अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

विदेश मंत्रालय ने 24.07.2014 को म्यामार में रीह से तिड्डिम तक एकल लेन कैरेज-वे चौडाई वाले 2 लेन फार्नेशन की 60 किमी लंबी मौजूदा बैलगाडी़ मार्ग के स्तरोन्नयन के लिए डीपीआर को तैयार करने हेतु परामर्श सेवाओं का कार्य भी प्रदान किया था और इस संबंध में दिनांक 30.07.2014 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 01.12.2014 को विदेश मंत्रालय को आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। विदेश मंत्रालय को संरेखण विकल्पों सहित मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट दिनांक 20.02.2015 को प्रस्तुत की गई थी। नय पई तव मे दिनांक 21.07.2015 को माननीय निर्माण मंत्री, म्यामार सरकार के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और तत्पश्चात दिनांक 22.07.2015 को निर्माण मंत्री (म्यामार सरकार) द्वारा एक संरेखण को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, इरकॉन आईएसएल को म्यांमार के रखीने राज्य मे मौंगटव-एलेथंक्याव सड़क के लिए डीपीआर रिपोर्ट तैयार करने तथा व्यवहार्यता अध्ययन के लिए म्यांमार गणराज्य के निर्माण मंत्रालय से एक अन्य कार्य भी प्राप्त हुआ था। इस कार्य के लिए दिनांक 22 अगस्त, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे।

ग. इरकॉन आईएसएल द्वारा श्रीलंका और मलेशिया में इरकॉन की परियोजनाओं के लिए "श्रमशक्ति आपूर्ति" का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए इरकॉन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 31 मार्च 2015 को 30 कर्मचारी श्रीलंका में तथा 35 कर्मचारी मलेशिया मे कार्यरत है। वर्ष 2014-15 के दौरान 79 कर्मचारियों को श्रीलंका से तथा 1 कर्मचारी को मलेशिया से प्रत्यावर्तित किया गया। वर्ष की समाप्ति के पश्चात इरकॉन आईएसएल ने मलेशिया में 02 कर्मचारियों को तैनात किया है और श्रीलंका से 03 कर्मचारियों को वापस बुलाया था।

घ. आपकी कंपनी श्रीलंका परियोजना के लिए इरकॉन के लिए "मशीनरी पट्टाकरण" का कार्य भी कर रही है। इरकॉन आईएसएल ने दिनांक 22.11.2013 को श्रीलंका में इरकॉन की परियोजना के लिए 'डोमेटिक टेंपिंग मशीन' संस्थापित की है और यह मशीन श्रीलंका में इरकॉन की परियोजना के लिए प्रचालनरत है। इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड द्वारा इरकॉन आईएसएल को पुरानी रेलपथ मशीनों को बेचने के लिए आदेश जारी किए गए थे। इन मशीनों की आवधिक ओवरहॉलिंग और अनुरक्षण के पश्चात इन्हें तीसरे पक्षों के साथ भारत में तैनात किया जाएगा।

ड. कंपनी की वर्तमान गतिविधियां अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और इससे संबंधित क्षेत्रों में परामर्श से संबंधित हैं। इन गतिविधियों के अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र

के उपकमों की ओर से सीएसआर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य किया है। इरकॉन आईएसएल ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 26.11.2014 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 13.01.2015 को अक्षय उर्जा विकास एजेसी लिमिटेड के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 28.03.2015 को साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 22.05.2015 को पावर फाइनांस कॉर्पोरशन के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा आरंभ किए गए तथा सफलतापूर्वक पूरे किए गए उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वच्छ भारत अभियान का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है, जिन्हें 15 अगस्त 2015 से पूर्व पूरा कर लिया गया था।

पीएसयू का नाम	राज्य	निर्मित शौचालयों की संख्या	परियोजना लागत (लगभग करोड़ में)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश	2,011	10.95
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड आईआरईडीए)	हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ	531	5.10
पावर फाइनांस कॉर्पोरशन (पीएफसी)	राजस्थान	525	25.97
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल)	छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, ओडीशा	1,647	23.57

च. धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने इरकॉन आईएसएल को जम्मू में ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन नियोजन) प्रयोगशाला सौंप दी है। इस प्रयोगशाला को नवंबर, 2013 के अंतिम सप्ताह में प्रचालनिक किया गया था। परियोजना प्राधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुसार नियमित

आधार पर जल, वायु तथा ध्वनि संबंधी अनेक परीक्षण किए जा रहे हैं। अक्तूबर, 2014 में प्रत्यायन के लिए आवेदन एनएबीएल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात, ईएमपी प्रयोगशाला का प्री-ऑडिट किया गया था और उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। ईएमपी प्रयोगशाला का अंतिम ऑडिट भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था और अंतिम एनएबीसी मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, जिसके पश्चात ईएमपी प्रयोगशाला संभावित ग्राहकों के लिए विभिन्न परीक्षण करने के लिए पूर्णत प्रचालनिक हो जाएगी।

वित्तीय विशेषताएं

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक निम्नानुसार हैं :

वित्तीय निष्पादन संकेतक

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2014-15	2013-14
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	65.00	40.00
2.	अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी	40.00	40.00
3.	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	25.00	-
4.	आरक्षित निधि व अधिशेष	23.11	12.19
5.	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	0.90	29.16
6.	कुल राजस्व	41.51	31.99
7.	प्रचालनों से राजस्व	36.39	31.08
8.	कर पूर्व लाभ	20.29	13.41
9.	कर पश्चात लाभ	10.93	7.66
10.	निवल संपत्ति	88.11	52.19
11.	प्रति शेयर आमदनी(रु.)	2.73	1.92

प्रचालनों से राजस्व

प्रचालनों से राजस्व में वृद्धि हुई है जो 31.08 करोड़ रुपए से बढ़ कर 36.39 करोड़ रुपए हो गया है। कर पश्चात लाभ भी बढ़ कर 7.66 करोड़ रुपए से 10.93 करोड़ रुपए हो गया है।

शेयर पूंजी

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 40 करोड़ रुपए से बढाकर 65 करोड़ रुपए (23 फरवरी, 2015 से) कर दिया गया है। वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी की प्राधिकृत अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी को भी 40 करोड़ रुपए से बढाकर 65 करोड़ रुपए (25.5.2015 से) कर दिया गया है, जो 100% इरकॉन द्वारा धारित है।

अरक्षित ऋण

कंपनी ने वर्ष के दौरान इरकॉन से 6.50 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। आरंभिक शेष 48.15 करोड़ रुपए है। वर्ष के दौरान 23.15 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान किया गया है और 31 मार्च 2015 को बकाया ऋण 31.50 करोड़ रुपए है। ऋण पर 5.61 करोड़ रुपए के ब्याज का भुगतान किया गया /देय है।

लाभांश

लाभों को विकास कार्य में पुनः लगाने के लिए, निदेशक वर्ष 2014-15 के लिए किसी प्रकार के लाभांश का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास आदि

पर्यावरण पर समान तीव्रता के साथ बल दिया जा रहा है। वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बहुउद्देशीय परिसरों में ग्रीन बिल्डिंग के व्यवहारिक तत्वों को शामिल करके पूरा किया गया था।

विदेशी विनिमय अर्जन तथा निर्गम

इरकॉन की श्रीलंका और मलेशिया परियोजनाओं के लिए मानव शक्ति की आपूर्ति तथा श्रीलंका परियोजना के लिए संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर दिये जाने के कारण वर्ष 2014-15 में शुद्ध विदेशी विनिमय आमदनी 20.61 करोड़ रुपए है ।

कार्मिक

31 मार्च, 2015 को कंपनी की कुल श्रमशक्ति संख्या 80 कर्मचारी हैं जिसमें इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 30 ठेके के कर्मचारी तथा मलेशिया परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 35 ठेके के कर्मचारी शामिल हैं।

31 मार्च 2015 के पश्चात, कंपनी ने इरकॉन की परियोजना के लिए मलेशिया में 02 कर्मचारी को तैनात किया और श्रीलंका से 03 कर्मचारियों को वापस बुलाया गया था। वर्ष 2015-16 के दौरान, एक डीजीएम/सिविल और एक सहायक प्रबंधक/सिविल ने इरकॉन से प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण किया है। कंपनी के 09 कर्मचारी इरकॉन से सेकेंडमेंट आधार पर हैं। भारतीय परियोजनाओं तथा निगमित कार्यालय में 18 कर्मचारी ठेके पर हैं और सेवा ठेका आधार पर तैनात हैं।

इरकॉन से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के कार्मिक विकास से संबंधित मुद्दों पर इरकॉन द्वारा धारक कंपनी के रुप में कार्रवाई की जा रही है।

जिन कर्मचारियों की नियुक्त कंपनी द्वारा की गई है और जिन्हें ठेके पर श्रीलंका परियोजना और मलेशिया परियोजना में तैनात किया गया है, उनकी व्यवस्था कंपनी कर रही है।

अनुपालन

राष्ट्रपति के निर्देश

वर्ष के दौरान राष्ट्रपति का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) के लिए डीपीई के समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पहली बार मार्च 2014 के दौरान वर्ष 2014-15 के लिए धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। वर्ष 2015-16 के लिए धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2)के साथ पठित अनुच्छेद 134 (3) के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रति वर्ष 60 लाख रुपए या अधिक या प्रति माह 5 लाख रुपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी तथा सहायक जन-सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट में डाल दी गई हैं । प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दिया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी को केवल सात शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिसका उत्तर संतोषजनक रुप से दे दिया गया है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात, एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर भी समय-सीमा के भीतर उत्तर दे दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी की अपनी वेबसाइट http://www.irconisl.com उपलब्ध है जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, परियोजनाएं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाएं, सम्पर्क ब्यौरा आदि उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान परियोजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों, निविदाओं, संविदाओं, आरटीआई, संपर्क ब्यौरा आदि को अद्यतन किया गया था। आरटीआई के अंतर्गत नए टैब को शामिल किया गया है। यह वेबसाइट धारक कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org के साथ भी लिंक है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा अनुच्छेद 134 (3) के अनुसार, फार्म सं. एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार निदेशक की रिपोर्ट का भाग है और इसे अनुबंध ''क'' के रुप में संलग्न किया गया है।

अनुच्छेद 188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों के लेखों से संबंधित अध्याय IX के अंतर्गत निर्धारित नियम के फार्म एओसी-2 में निर्धारित अनुसार अनुच्छेद 188 (1) के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं के विवरण को अनुबंध ''ख'' में प्रस्तुत किया गया है।

एकीकृत रिपोर्ट

''प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट'' तथा ''निगमित शासन रिपोर्ट'' इस निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं और इन्हे कमशः अनुबंध ''ग'' तथा अनुबंध ''घ'' में प्रस्तुत किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (3)(ग) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (5)के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है किः-

क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है ।

ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और निरन्तर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति तथा वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

ग) निदेशकों द्वारा परिसंपतियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

घ) निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किये गये हैं ।

ड.)निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रुप से प्रचालनिक थीं।

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें आयोजित की गईं। मार्च 2015 को समाप्त तिमाही में तीन बैठकें तथा जून 2014, सितंबर 2014 और दिसंबर 2014 को समाप्त तिमाही में एक-एक बैठक आयोजित की गई।

आज की तारीख को निम्न निदेशक कार्यरत हैं :

1.	श्री हितेश खन्ना (डीआईएन 02789681)	11.03.2011 से आगे
2.	श्री अनिल जैन (डीआईएन 05283217)	10.05.2012 से आगे
3.	श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	01.09.2013 से आगे
4.	श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	01.12.2013 से आगे

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 203 के प्रावधानों, जो 1 अप्रैल, 2014 को प्रभावी हुए हैं, के अनुसरण में कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रुप में श्री सी.के. नैय्यर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अनिकेत खेत्रपाल, मुख्य वित्त अधिकारी तथा सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव की नियुक्तियां की गई थीं।

बोर्ड स्तरीय समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां विद्यमान हैंः

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरे को निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार सीएसआर के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि भारत में प्रचालन से कंपनी का निवल लाभ 5.00 करोड़ रुपए से कम है।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा हेतु आरएसएचपी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकारों को सांविधिक लेखापरीक्षकों के रुप में नियुक्ति किया था। कंपनी के लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां, अवलोकन या आरक्षण नहीं हैं।

आभारोक्ति

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, आपकी (धारक कंपनी) तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों को उनके सहयोग के लिए तथा कर्मचारियों को भी कंपनी को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रशंसा एवं धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/-
(हितेश खन्ना)
अध्यक्ष
(डीआईएन 02789681)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2015

अनुबंध-क

फॉर्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार
31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष को
[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 12(1)के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौराः

सीआईएन	यू 45400डीएल2009जीओआई194792
पंजीकरण तिथि	30 सितंबर, 2009
कंपनी का नाम	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	प्लॉट सं सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017 दूरभाष 011-29565666
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियांः

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैंः

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) आदि के अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास, सुधार, कार्य आरंभ, प्रचालन और अनुरक्षण आदि करने हेतु।	45201	22.24%
2	इरकॉन की श्रीलंका और मलेशिया परियोजनाओं के लिए श्रमशक्ति की आपूर्ति का कार्य करने हेतु	-	48.87%
3	इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए उसे संयंत्र और मशीनरी पट्टे पर देने का कार्य करने हेतु।	71220	16.96%

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण:

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100%	2(46)

IV. शेयर धारिता पैटर्न:

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम	-	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	-	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	-
ड.) बैंक / वित्तीय संस्थान		-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य		-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (क) (1)	-	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	-	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	-
(2) विदेशी									
क) एनआरआई - व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्तिगत									
ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान									
ड.) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (क) (2)	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	-	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	-	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	-

ख. जन शेयरधारिता									
(1) संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्यूचुवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई			-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल (ख)(1):		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(2) गैर संस्थागत									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय	-	-			-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-			-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-			-	-	-	-	-
i) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण	-	-			-	-	-	-	-
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-		-	-
उप कुल (ख)(2):	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क +ख +ग)		4,00,00,000	4,00,00,000	100%	-	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	-

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों मे प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिति	4,00,00,000	100%	-	4,00,00,000	100%	-	100%
	कुल	4,00,00,000	100%	-	4,00,00,000	100%	-	100%

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के अंत में	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			

iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में			शून्य	
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं)				

v) (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में				
वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि) वर्ष के दौरान तिथिवार वृद्धि/कमी :		शून्य		
वर्ष के अंत में				

V. ऋणगस्तता:

बकाया/संचित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता किन्तु भुगतान के लिए देय नहीं है:

(करोड़ रु)

	जमानत सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमानत	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	48.15		48.15
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त		6.82		6.82
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	शून्य		शून्य
	-			
कुल (i + ii + iii)	-	54.97	-	54.97
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- वृद्धि	-	6.50	-	6.50
- कमी	-	23.15		23.15
			-	
निवल परिवर्तन	-	16.65	-	16.65
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	31.50	-	31.50
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	5.60	-	5.60
	-	शून्य	-	शून्य
कुल (i + ii + iii)	-	37.1		37.1

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंधन निदेश, पूर्णकालीन निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक*:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम (2014-15 में वर्षभर)				कुल राशि
1 क) ख) ग)	सकल वेतन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अनुसार वेतन के अंतर्गत लाभ			लागू नहीं		
2	स्टॉक ऑप्शन					
3	स्वीट इक्विटी					
4	कमिशन - लाभ के प्रतिशत के रुप में - अन्य, उल्लेख करें					
5.	अन्य, उल्लेख करें			लागू नहीं		
	कुल (क)					
	अधिनियम के अनुसार सीमा					

*** इरकॉन आईएसएल में धारक कंपनी के बोर्ड द्वारा नामित 4 अंशकालीन निदेशक हैं; जो कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जताा है।**

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि
1 क) ख) ग)	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क कमिशन अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-	-
	कुल (ख1)	-	-	-
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक	-		-

क) ख) ग)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क कमिशन अन्य (कृपया उल्लेख करें)		लागू नहीं	
	कुल (ख2)	-	-	-
	कुल [ख= ख1 + ख2]	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक [क +ख]	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	--	-	-

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	कंपनी सचिव का नाम (केएमपी)			कुल राशि
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	
1	सकल वेतन				
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	28,69,924	3,03,065	9,00,715	
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	4,434	शून्य	6,293	
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अनुसार वेतन के अंतर्गत लाभ	6,14,050	शून्य	17,692	
2	स्टॉक ऑप्शन	शून्य	शून्य	शून्य	
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कमिशन - लाभ के प्रतिशत के रुप में - अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (क)	28,74,358	3,03,065	9,07,008	
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

VII. जुर्माना /दंड/ अपराधों का आवृत्तिः

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माने/दंड/संचयी शुल्क	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी/ न्यायालय]	अपील यदि कोइ हो (ब्यौरा दें)
जुर्माना					
दंड					
समझौता			शून्य		
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह0/-
(हितेशा खन्ना)
अध्यक्ष
(डीआईएन 02789681)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2015

<u>फॉर्म सं. एओसी-2</u>

वित्त वर्ष 2014-15(1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए) तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म.

संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : शून्य

संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर हैं :

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड धारक कंपनी	इरकॉन के निगमित सामाजिक उत्तदायित्व कार्यों का निष्पादन	दिनांक 8 जून 2012 का समझौता ज्ञापन अवधि - जारी	स्कूलों में शौचालयों के निर्माण, सौर प्रकाश आदि से संबंधित सीएसआर कार्य। इरकॉन ने कार्य की वास्तविक लागत जमा ओवरहैड और लाभ के प्रति कार्य संवर्धन के विशिष्ट प्रतिशत पर इरकॉन आईएसएल को कार्य सौंपा था।	लागू नहीं	शून्य
2		इरकॉन आईएसएल के लिए म्यामार में भू-तकनीकी अन्वेषणों के लिए विस्तृत अभिकल्प हेतु कार्य	इरकॉन को दिनांक 20 मार्च 2015 का कार्य प्रदान किए जाने संबंधी पत्र। अवधि - स्थल पर संसाधन जुटाने की तिथि से 6 माह या पुलों के अभिकल्प के लिए सभी संगत ब्यौरे उपलब्ध कराने की तिथि से 3 माह, जो कोई पहले हो।	भू-तकनीकी जांच और पुलों के विस्तृत अभिकल्प सहित स्थल जांच का कार्य। सेवाकर सहित कार्य की लागत 32.02 लाख है।	लागू नहीं	शून्य
3		इरकॉन को प्रतिपूर्तियां	लागू नहीं	इरकॉन के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर इरकॉन आईएसएल में तैनात किया गया है। कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति वास्तविक लागत आधार पर है। सम्पूर्ण वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति इरकॉन को की गई है। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन लागत आदि जैसे विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति भी इरकॉन को वास्तविक आधार पर की गई है।	लागू नहीं	शून्य
4		इरकॉन आईएसएल के लिए बहुउ‍ंशीय परिसरों का निर्माण	तिथिः 03.06.2010 अवधिः उपलब्ध नहां ह।	रेलवे परिसरों में बहुउ‍ंशीय परिसरों के अभिकल्प और निर्माण से संबंधित कार्य [वर्ष 2014-15 में निष्पादित निर्माण कार्य हेतु] मूल्यः 109.03 लाख रुपए। संव्यवहार की प्रमुख विशेषताएंः 1.बहुउ‍ंशीय परिसर स्टेशनों का व्यवहार्यता अध्ययन करना। 2. प्रत्येक चिह्नित स्टेशनों पर बहुउ‍ंशीय परिसरों का निर्माण।	लागू नहीं	शून्य
5		इरकॉन को संयंत्र और मशीनरी पट्टे पर देना	31.03.2014 को करार पर हस्ताक्षर किए गए अवधि : श्रीलंका में मशीन आरंभ होने यथा. 22.11.2013 से 12 माह।	एक ड्युमेटिक ऑनलाइन ट्रैक टैंपिंग मशीन को पट्टे पर देना के लिए इरकॉन श्रीलंका पट्टा परियोजना। मूल्यः616.99 लाख रुपए (वर्ष 2014-15 में निष्पादित) पट्टा करार की प्रमुश विशेषताएंः क. इरकॉन/श्रीलंका को एक ड्युमेटिक टैंपिंग मशन का प्रावधान ख. इरकॉन/श्रीलंका द्वारा उपलब्ध कराया गया ईंधन, स्नेहक तेल, हॉइड्रालिक तेल आदि। ग. कलपुर्जों सहित मशीन का अनुरक्षण जिसे इरकॉन द्वारा किया जाना है।	लागू नहीं	शून्य
6		इरकॉन को श्रमशक्ति की आपूर्ति	क) 21.09.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए ख) 26.12.2012 को करार पर हस्ताक्षर हुए अवधि : हस्ताक्षर करने की तारीख से 2 वर्ष अन्य पक्ष द्वारा 30 दिना का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। अन्यथा प्रति दो वर्ष म नए सिरे से किया जाएगा।	इरकॉन आईएसएल को श्रीलंका में इरकॉन की परियोजना के लिए विभिन्न तकनीकी श्रमशक्ति उपलब्ध कराना। वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल राजस्व 1315.08 लाख है।	लागू नहीं	शून्य
			01.04.2013 को करार पर हस्ताक्षर किए गए अवधिः हस्ताक्षर की तिथि से 2 वर्ष	इरकॉन आईएसएल को मलेशिया में इरकॉन की परियोजना के लिए विभिन्न तकनीकी श्रमशक्ति उपलब्ध कराना। वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल राजस्व 463.14 लाख है।	लागू नहीं	शून्य

नोट : उपर्युक्त सभी संव्यवहारों को इरकॉन आईएसएल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/-

(हितेश खन्ना)
अध्यक्ष
(डीआईएन : 02789681)

दिनांक : 28.08.2015
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध ग

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

विहंगावलोकन

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएलएस) रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) अनुसूची 'क', मिनी रत्न - श्रेणी-I की कंपनी है की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में 30 सितंबर 2009 को निगमित हुई थी जो कि भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं व सहूलतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल की भूमि पर बहु-उद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए के साथ धारक कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन का परिणाम है। 23 स्टेशनों पर निर्माण (वॉर्म शैल) का भौतिक कार्य किया गया था। कंपनी ने 17 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उप पट्टे पर दे दिया है।

उपर्युक्त उद्देश्य कंपनी के भावी विकास के लिए सीमित थे और इसलिए, कंपनी ने विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फैलाया और इस प्रकार इसके उद्देश्यों में संशोधन हुआ।

व्यवसाय वातावरण

वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर स्थिर (2011-12) बाजार मूल्यों पर 5.1 प्रतिशत थी, को वर्ष 2013-14 में बढकर 6.9% हो गई है और वर्ष 2014-15 में (पूर्वानुमानों के अनुसार) इसमें 7.4 तक वृद्धि होने की संभावना है। केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय द्वारा पद्धिति में परिवर्तन किए जाने से भी सकल तथा विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) की अवधारणा भी आरंभ की गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण बताते हैं कि ऐसी विकास दर की संभावना पहले से किए गए अनेक सुधार कार्यों और भविष्य में नियोजित सुधार कार्यों के कारण है। सर्वेक्षण में अनेक सुधार उपाय बताए गए हैं जैसे डीजल के मूल्य का डी-रेगुलेशन, ऊर्जा उत्पादों के लिए कर निर्धारण, रसोई गैस सब्सिडी को राष्ट्रीय स्तर पर सीधे हस्तांतरित करना, बोलियों के माध्यम से कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए अध्यादेश, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि आदि।

कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रही हैः

- भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।
- विभिन्न निजी/सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी)।
- निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण(बीओटी) आधार पर रियल इस्टेट परियोजनाएं।
- परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना अध्ययन।
- *स्वच्छ भारत अभियान* के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) परियोजनाएं।

दृष्टिकोण

वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का विजन/मिशन तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैः-

<u>विजन/मिशन</u>

विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना ।

<u>उद्देश्य</u>

i) वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 10 करोड़ रुपए के प्रचालनिक लाभ सहित 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त करना।
ii) भारत तथा विदेश में अवसंरचना प्रबंधन परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान 36.39 करोड़ रुपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है। वर्ष के दौरान करपूर्व लाभ 20.29 करोड़ रुपए है और कर पश्चात लाभ 10.93 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2015 को आपकी कंपनी की पूंजीगत कार्य प्रगति 0.90 करोड़ रुपए हो गया है।

प्रचालनिक निष्पादन

इरकॉन आईएसएल ने 19 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक उप-पट्टे पर दे दिया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कंपनी ने 12 बहुउद्देशीय परिसरों यथा रामपुरहाट, राजगीर, जयपुर, जम्मू, उदयपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, जोधपुर, हरिद्वार, मदुरै तथा तिरुवल्ला को उप-पट्टे पर दे दिया है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात, 11 बहुउद्देशीय परिसरो को प्रचालनिक किया गया है जिनमे होटलों सहित 6 बहुउद्देशीय परिसर भी शामिल है, जिनके नाम हैं हरिद्धार, ग्वालियर, उदयपुर, रायपुर, कन्नूर, हुबली, और दुकानों व फूड प्लाजा वाली यात्री सुविधाओं वाले 5 बहुउद्देशीय परिसर यथा बर्धमान, हैदराबार, रामपुरहाट, बिलासपुर और थिरुवल्ला शामिल हैं।

आपकी कंपनी ने म्यामार में कलादन बहु-मॉडल ट्रांजिट परियोजना के पलेटवा से भारत म्यामार सीमा तक सड़क भाग का डीपीआर तैयार करने हेतु विदेश मंत्रालय के लिए परामर्श का कार्य निष्पादित किया है। विदेश मंत्रालय ने 24.07.2014 को रिह से तिड्डिम तक एकल लेन कैरेजवे चौडाई वाले 2 लेन फार्नेशन की 60 किमी लंबी मौजूदा बैलगाडी मार्ग के स्तरोन्नयन के लिए डीपीआर को तैयार करने हेतु परामर्श सेवाओं का कार्य भी प्रदान किया था और इस संबंध में दिनांक 30.07.2014 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 01.12.2014 को विदेश मंत्रालय को आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

आपकी कंपनी ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य किया है। इरकॉन आईएसएल ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 26.11.2014 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत

सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 13.01.2015 को अक्षय उर्जा विकास एजेसी लिमिटेड के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

आपकी कंपनी श्रीलंका और मलेशिया में इरकॉन की परियोजन हेतु "श्रमशक्ति आपूर्ति" का कार्य तथा इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए "मशीनरी को पट्टे पर देने" का कार्य भी कर रही है।

क्षेत्रीय निष्पादन

वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व के चार क्षेत्र हैं यथा परामर्श, श्रमशक्ति की आपूर्ति, बहुउ÷शीय परिसरों को उप-पट्टे पर देना तथा संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना। प्रचालनिक आय में श्रमशक्ति आपूर्ति का अंशदान प्रमुख है यथा वर्ष 2014-15 के लिए कुल प्रचालनिक आय का 48.87% है। नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न क्षेत्रों से आय के भाग और कुल आय में इसके प्रतिशत अंशदान को दर्शाती है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2012-13		2013-14		2014-15	
	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%
परामर्श	2.57	20.43	0.14	0.45	2.98	8.19
श्रमशक्ति की आपूर्ति	3.48	27.66	26.78	86.16	17.78	48.87
एमएफसी को उप पट्टे पर देना	-	-	0.49	1.58	8.09	22.24
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	-	-	2.12	6.82	6.17	16.96
अन्य *	6.53	51.91	1.55	4.99	1.36	3.74
कुल	12.58		31.08		36.38	

*इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन से आय शामिल है।

सेगमेंट-वार निष्पादन

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्रचालनिक आय में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 65.81% है तथा कुल प्रचालनिक आय में घरेलू परियोजनाओं का अंशदान 34.19% है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2012-13		2013-14		2014-15	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	3.48	27.66	28.91	93.02	23.95	65.81
घरेलू	9.10	72.34	2.17	6.98	12.44	34.19
कुल	12.58		31.08		36.39	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह निर्माण के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त इरकॉन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकती है।

जोखिम और चिन्ता

प्रगतिरत रुप से बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा होने से, इन बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने का कार्य आरम्भ किया गया है जो कि अत्यंत क्षेत्र विशिष्ट और बाजार आधारित है। हालांकि, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा बाजार संभाव्यता का गहन अध्ययन किया गया है किन्तु राजस्व एकत्रण का जोखिम अभी भी विद्यमान है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014-15 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में मैसर्स के.के.गोयल एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने आंतरिक प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा निरंतर सुधारों के उपाय सुझाने के लिए दो चरणों में कंपनी की लेखापरीक्षाएं की हैं। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की गई है।

मानव संसाधन

इरकॉन आईएसएल के कर्मचारियों में उन कार्मिकों का संयोजन है जिन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और जिन्हें निगमित कार्यालय में और इरकॉन की श्रीलंका और मलेशिया परियोजनाओं में ठेके पर तैनात किया गया है वे और जिन कर्मचारियों को इरकॉन से सेकेंडमेंट आधार पर शामिल किया गया है। दीर्घकालीन विकास परिदृश्य को देखते हुए, आपकी कंपनी अपने स्वयं के संवर्ग विकास के माध्यम से प्रमुख श्रमशक्ति संसाधनों में संवर्धन करने की योजना बना रही है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/-
(हितेश खन्ना)
अध्यक्ष
(डीआईएन 02789681)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2015

अनुबंध - 'ख'

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन कंपनी के व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए प्रणालियों तथा पद्धतियों की एक व्यवस्था है। यह अपने स्टेकधारकों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समानता और मूल्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास है कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाया जाए तथा उन्हें बनाया रखा जाए।

2. शासन संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करता है और आवधिक रुप से कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

कंपनी के निष्पादन की समीक्षा धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। मंडल बैठकों के कार्यवृत्त तथा कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं के विवरण तथा अलेखापरीक्षित तिमाही परिणामों को धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति बोर्ड मीटिंग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में चार अंशकालीन निदेशकों के अतिरिक्त, धारक कंपनी ने कंपनी के दिन-प्रति-दिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किया है।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के संगम अनुच्छेद (ए.ओ.ए)(अनुच्छेद 48) के अनुसार, निदेशकों की संख्या 3 से कम तथा 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए.ओ.ए (अनुच्छेद 49) के अनुसार, धारक कंपनी अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की वर्तमान संख्या चार है जिसमें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों सहित अंशकालीन अध्यक्ष शामिल हैं।

3.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक	सार्वजनिक कंपनियों में बोर्ड के सदस्य (इरकॉन आईएसएल को छोड़ कर)	समिति सदस्यता की कुल संख्या (इसमें इरकॉन आईएसएल शामिल है)	
			अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में
श्री हितेश खन्ना (डीआईएन 02789681)	अंशकालीन अध्यक्ष	1 [इरकॉन]	शून्य	1
श्री अनिल जैन (डीआईएन 05283217)	अंशकालीन निदेशक	2 [इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल]	1	2
श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	अंशकालीन निदेशक	शून्य	1	2
श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	अंशकालीन निदेशक	2 [इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल]	1	2

नोटः

1. निदेशकों की संख्या अधिकतम सीमा के भीतर हैः
   - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लिए 20 (जिनमें से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम 10)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ किसी प्रकार का अंतर- संबंध या संव्यवहार नहीं है।
4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त अद्यतन प्रकटनों के आधार पर है।

5. समिति सदस्यता के लिए सभी सार्वजनिक निजी कंपनियों की सीएसआर एवं धारणीय विकास समिति, लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों पर ही विचार किया गया है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई सीजी दिशानिर्देश) के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।
7. कंपनियों के पूरे नाम हैं:
   क. इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
   ख. आईपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टॉलीवे लिमिटेड
   ग. आईएसजीटीएल - इरकॉन शिवपुरी गूना टॉलीवे लिमिटेड
   घ. आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टॉलीवे प्राइवेट लिमिटेड

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (निदेशक की बैठकें व उनकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 49 के अनुसार धारक कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालीन निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।
अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है।

5. वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल ने 27 जून 2014, 28 जुलाई 2014, 21 अक्टूबर 2014, 20 जनवरी, 2015, 20 फरवरी 2015 और 27 मार्च 2015 को छह बैठकों में भाग लिया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 167(1)(ख) के अनुसार अनुस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है।

वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार हैं :-

निदेशक	2014-15 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
हितेश खन्ना	6	6	हां
अनिल जैन	6	6	हां
सुरजीत दत्ता	6	5	हां
ए.के.गोयल	6	5	हां
दीपशिखा गुप्ता	6	5	लागू नहीं

सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव ने वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित छह बोर्ड बैठकों में से पांच में भाग लिया । दिनांक 20 फरवरी 2015 को अवकाश पर होने के कारण वे बोर्ड बैठक में भाग नहीं ले पाईं।

6 निदेशक मंडल की समितियां

6.1 लेखापरीक्षा समिति

6.1.1 संदर्भ शर्तें

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए (28.03.2013 से) हो गई है, जो 100% इरकॉन द्वारा धारित है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने 5 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों

के अध्याय-4, पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था। संक्षेप में इनमें शामिल हैं:

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।

2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से-

क)कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2कक) की शर्तों के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाली अपेक्षित सामग्री को निदेशक की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

ख) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो व इसके कारण।

ग) प्रबंधन द्वारा विवेक के प्रयोग के आधार पर अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

च) किसी संबंधित पक्षों के संव्यवहार का प्रकटन ।

छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6) महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दोनों लेखा परीक्षकों - आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा।

7) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग तथा विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्ता की समीक्षा करना।

8) लेखापरीक्षा शुल्कों के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

9) आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, पारिश्रमिक तथा निलंबन आदि की समीक्षा करना।

10) मुख्य कार्यपालक/वित्त प्रमुख द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा करना।

6.1.2 लेखापरीक्षा समिति- संरचना और उपस्थिति

कार्पोरेट शासन पर दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार शर्तों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से 05.07.2013 को मूल रुप से तीन अंशकालीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था। धारक कंपनी द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों में जब कभी परिवर्तन किए जाते हैं तो इस समिति का पुनर्गठन किया गया जाता है।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः

श्री सुरजीत दत्ता - अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री अनिल जैन - सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री ए.के.गोयल - सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

लेखापरीक्षा समिति का गठन 05.07.2013 में किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं थीं अर्थात 26 जून 2014, 28 जुलाई 2014, 21 अक्तूबर 2014 तथा 20 जनवरी 2015.
उपस्थिति की ब्यौरा निम्नानुसार हैः

सदस्य	पद	बैठकों की संख्या (संबंधित कार्यकाल के दौरान)	बैठक में उपस्थिति
सुरजीत दत्ता (2014-15 वर्षभर)	अध्यक्ष	4	4
अनिल जैन (2014-15 वर्षभर)	सदस्य	4	3
ए.के.गोयल (2014-15 वर्षभर)	सदस्य	4	3

वर्ष 2013-14 के दौरान सुश्री दीपशिखा गुपता, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

6.2 निगमित सामाजित उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार, किसी वित्त वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक कंपनी, बोर्ड स्तर की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12 अप्रैल 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा कंपनी के सीएसआर एजेंडा को वांछित दिशा की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा पद्धितियों के निर्माण में निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान करने हेतु सीएसआर नीति के क्रियान्वचन की निगरानी के लिए 13 जून 2014 को सीएसआर के लिए एकीकृति निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया है।

समिति की संरचना इस प्रकार हैः

i. श्री ए.के.गोयल - अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक
ii. श्री अनिल जैन - सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक
iii. श्री सुरजीत दत्ता - सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक
iv. दीपशिखा गुप्ता - समिति की सचिव के रुप में कंपनी सचिव

वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी की कोई बैठक नहीं हुई है।

6.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के अनुसार, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी, या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 50 करोड़ रुपए या अधिक के समग्र बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या डिपाजिट करने वाले प्रत्येक कंपनी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी। इस समिति में तीन या अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें से आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए पारिश्रमिक समिति पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, और वे सभी अंशकालीन निदेशक होंगे (यथा नामिती और स्वतंत्र निदेशक), और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी ।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 178 तथा डीपीई जीसी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 28 अगस्त 2015 को एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

(i) श्री अनिल जैन, अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक

(ii) श्री ए.के.गोयल, सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

(iii) श्री सुरजीत दत्ता, सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

(iv) सुश्री दीपशिखा गुप्ता - समिति सचिव के रुप में कंपनी सचिव

संदर्भ शर्तें

क. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर यूनयनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल और नीति के संबंध में निर्णय लेने के मौजूदा कार्यक्षेत्र को जारी रखने हेतु

ख. ऐसे व्यक्तियों की पहचान/चयन के लिए नीतियां तैयार करना व समीक्षा करना, जिन्हें निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड को उनकी नियुक्ति तथा निरस्थ की सिफारिश की जाएगी।

ग. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के स्तर तथा पारिश्रमिक के संबंध में निर्णय लेना।

घ. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानव संसाधन नीति (नीतियों) के संबंध में समीक्षा, विचार तथा सिफारिश करना

ड. समय समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई द्वारा निर्धारित अनुसार कोई अन्य कार्य।

7. सामान्य आम बैठक

7.1 वार्षिक आम बैठक

क) पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

वार्षिक आम बैठक की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल
पांचवीं	2013-14	10 सितंबर 2014	1530	कंपनी का दिल्ली का पंजीकृत कार्यालय
चौथी	2012-13	02 सितंबर 2013	1500	कंपनी का दिल्ली का पंजीकृत कार्यालय
तीसरी	2011-12	05 सितंबर 2012	1130	कंपनी का दिल्ली का पंजीकृत कार्यालय

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2011-12 से 2013-14) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

7.2 असाधारण आम बैठक

क) पिछली 3 (तीन) असाधारण आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

असाधारण आम बैठक संख्या	वित्त वर्ष के दौरान	बैठक की तिथि	समय	स्थल
चौथी	2014-15	20 फरवरी 2015	1700	कंपनी का दिल्ली का पंजीकृत कार्यालय
तीसरी	2012-13	22 जनवरी 2013	1430	कंपनी का दिल्ली का पंजीकृत कार्यालय
दूसरी	2011-12	12 मार्च 2012	1430	कंपनी का दिल्ली का पंजीकृत कार्यालय

ख) विशेष संकल्प

(क) चौथी असाधारण आम बैठक 20 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी।

प्राधिकृत शेयर पूंजी को 40 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ख) तीसरी असाधारण आम बैठक 22 जनवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

(i) प्राधिकृत शेयर पूंजी को 10 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने के लिए कंपनी के संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) से लिए गए ऋण के 35,10,00,000 रुपए के स्तर तक के भाग को प्रत्येक 10 रुपए के 35,10,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना।

(ग) दूसरी असाधारण आम बैठक 12 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी।

उद्देश्य खंड III क (मुख्य उद्देश्य) में नए उप खंडों को शामिल करके समझौता ज्ञापन में परिवर्तन किया गया।

8. प्रकटन

8.1 ऐसे भौतिक प्रकृति के संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे, जिसका कम्पनी के हित में संभाव्य विरोध था। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नोट सं. 39 में निर्धारित संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के प्रकटन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

8.2 कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में समाविष्ट प्रावधानों/दरों को स्वीकार करने के लिए मूल्यह्रास पर प्रभारन से संबंधित अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए मूल्यह्रास में 38.58 लाख रुपए की कमी हुई है और कर पूर्व लाभ में 38.58 लाख रुपए की वृद्धि हुई है।

8.3 वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उ÷श्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (विस्तृत विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 41 में भी प्रकटित) के अनुसार प्रमुख कार्यपालकों को भुगतान हेतु पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उ÷श्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

8.4 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा वित्तीय व्यय की तुलना में नीचे दर्शाया गया हैः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय	0.92	0.60	शून्य

बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार	5.61	4.86	ऋण पर ब्याज
कुल व्यय	6.53	5.46	शून्य
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय(प्रतिशत में)	14.09%	10.99%	शून्य
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	85.91%	89.01%	

8.5 कंपनी आवधिक रुप से जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों और विदेशी विनिमय प्रबंधन के विषय में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा ''जोखिम एवं चिंता'' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

8.6 लेखापरीक्षा समिति द्वारा किसी कार्मिक को मिलने से इनकार किए जाने का कोई प्रश्न सामने नहीं आया है।

8.7 कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) को प्रत्येक 10 रुपए के 2,50,00,000 इक्विटी शेयरों के रुप में 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू जारी किया है और प्रयोग से पूर्व आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए रेलवे से 10 पुरानी रेलपथ मशीनों की खरीद के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रस्ताव पत्र भी जारी किया है।

8.8 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

8.9 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन आईएसएल ने वर्ष 2014-15 के लिए 100 में से 98 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

8.10 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निकटता आधार पर व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानक की अपेक्षा के अनुसार इसे प्रकट किया गया है।

8.11 कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की मॉनीटरिंग की प्रणालियां विद्यामन हैं। बोर्ड को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि कंपनी के सभी लागू नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

9. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के अनुबंध ''घ-1'' पर संलग्न है)

10. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

- <u>सम्प्रेषण के माध्यम</u>

  लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम कंपनी की वेबसाइट <u>www.irconisl.com</u> पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

- चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

  तारीख : 21 सितम्बर, 2015
  समयः 14.00 बजे
  स्थानः कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का बोर्ड कक्ष,
  सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110007

- श्रेणीवार शेयरधारक पैटर्न (इस रिपोर्ट की तिथि को)

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
प्रवर्तक (इरकॉन इंटरनेशनल लि. और इसके छह नामिति)	6,50,00,000	100%
कुल	6,50,00,000	100%

धारक कंपनी द्वारा पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 100% शेयर धारक कंपनी के हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए सीईओ एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

- <u>संप्रेषण का पता</u>

  कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः
  इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड
  प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
  साकेत,
  नई दिल्ली-1100017
  टेलीफोन : 29565666
  फैक्स : 26854000
  ई-मेल : info@irconisl.com
  वेबसाईट : www.irconisl.com

11. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के संलग्नक ''घ-2'' पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/-
(हितेश खन्ना)
अध्यक्ष
(डीआईएन 02789681)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2015

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:-

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरुप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(iv) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह0/-
श्री अनिकेत खेत्रपाल
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

ह0/-
श्री सी.के.नैय्यर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27.07.2015

कम्पनी सचिव
नई दिल्ली-110 024
टेली : 011-4162 5462
मोबाइल : 9873426246
ई-मेलः manojbangia.mb@gmail.com

डी.पी.ई के दिशानिर्देशों के अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली,

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के लिए जारी कारपोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिर्पोट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह0/-
मनोज बांगिया
प्रोपराइटर
सीपी सं0-3655

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28/08/2015

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र

(आंकड़े रुपए में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
I.	इक्विटी और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी	2	400,000,000	400,000,000
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	231,135,990	121,876,248
2	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	4	250,000,000	-
3	गैर-चालू देयताएं			
	(क) दीर्घकालीन ऋण	5	315,000,000	481,540,000
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	6	68,851,845	8,371,259
	(ग) अन्य दीर्घकालीन ऋण	7	191,559,665	45,217,789
	(घ) दीर्घकालीन प्रावधान	8	-	-
4	चालू देयताएं			
	(क) अल्प कालीन ऋण		-	-
	(ख) व्यापार देय राशियां	9	30,075,552	30,806,076
	(ग) अन्य चालू देयताएं	10	149,381,026	102,161,512
	(घ) अल्पकालीन प्रावधान	8	58,300,578	54,839,509
	कुल		**1,694,304,656**	**1,244,812,393**
II.	परिसंपतियां			
	गैर चालू परिसंपत्तियां			
1	(क) नियत परिसंपत्तियां			
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	11	11,21,10,452	121,778,822
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	11	943,177,809	664,380,878
	(iii) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	12	90,11,750	29,16,02,442
	(ख) गैर चालू निवेश		-	-
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	6	-	-
	(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	13	358,188	2,45,000
	(ड.) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14	254,253	2,43,777
2	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) वर्तमान निवेश		-	-
	(ख) दरसूचियां		-	-
	(ग) व्यापार प्राप्य	15	167,011,442	105,643,170
	(घ रोकड़ व रोकड़ समतुल्य	16	408,432,907	40,315,307
	(ड.) अल्पकालीन ऋण व अग्रिम	17	52,911,102	20,525,007
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	1,036,753	77,990
	कुल		**1,96,43,04,656**	**1,24,48,12,393**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
IV.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2- 51		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003013एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

तरुण कुमार बत्रा	अनिकेत खेत्रपाल	सी.के.नायर	दीपशिखा गुप्ता	सुरजीत दत्ता	हितेश खन्ना
(साझेदार)	सी.एफ.ओ	सी.ई.ओ	कंपनी सचिव	निदेशक	अध्यक्ष
सं.सं. 094318				(डीआईएन-06687032)	(डीआईएन-02789681)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.07.2015

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड

लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(आंकड़े रुपए में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
	राजस्व :			
I	प्रचालनों से राजस्व	19	363,875,610	310,751,976
II	अन्य आय	20	51,232,695	9,120,415
III	कुल राजस्व		**415,108,305**	**319,872,391**
IV	व्ययः			
	प्रचालनिक लागतें	21	57,125,165	22,217,835
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	65,084,060	102,338,953
	वित्तीय लागतें	22	56,059,503	48,589,612
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	11	24,723,042	6,659,357
	अन्य व्यय	21	9,239,811	6,011,507
	कुल व्यय		**212,231,581**	**185,817,264**
V	असामान्य मदें और कर से पूर्व लाभ (III - IV)		202,876,724	134,055,127
VI	आपवादिक मदें		-	-
VII	असाधारण मदें और के पूर्व लाभ (V - VI)		**202,876,724**	**134,055,127**
VIII	असाधारण मेदें		-	-
IX	कर पूर्व लाभ (VII + VIII)		**202,876,724**	**134,055,127**
X	कर व्यय			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		34,047,292	49,974,293
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		(910,896)	(942,544)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		60,480,586	8,418,972
	कुल कर व्यय		93,616,982	57,450,721
XI	निरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ/(हानि) (IX-X)		**109,259,742**	**76,604,406**
XII	अवधि के लिए लाभ (हानि)		**109,259,742**	**76,604,406**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी(रु. में)			
	- मूलभूत		2.73	1.92
	- विलयित		2.73	1.92
XIV	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2- 51		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003013एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

तरुण कुमार बत्रा	अनिकेत खेत्रपाल	सी.के.नायर	दीपशिखा गुप्ता	सुरजीत दत्ता	हितेश खन्ना
(साझेदार)	वित्त प्रमुख	सीईओ	कंपनी सचिव	निदेशक	निदेशक
सं.सं. 094318				(डीआईएन-06687032)	(डीआईएन-02789681)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.07.2015

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	राशि	राशि	राशि
क. प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
असाधारण मदों व कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		202,876,724		134,055,127
समायोजन:				
मूल्यह्रास व परिशोधन (नोट 10 का संदर्भ लें)	24,723,042		6,659,357	
नियत परिसंपत्तियों तथा अमूर्त मदों के समायोजन के लिए प्रावधान	-		-	
शेयर इश्यू व्ययों का समायोजन, शेयरों और प्राथमिक व्ययों पर छूट	-		-	
परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते डाले जाने से (लाभ)/हानि	-		-	
कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना पर व्यय	-		-	
वित्तीय लागतें	56,059,503		48,589,612	
ब्याज आय	-		-	
देयताओं/प्रावधानों के पश्चलेखन की कोई आवश्यकता नहीं है	-		-	
		80,782,545		55,248,969
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ/(हानि)		283,659,269		189,304,096
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:				
प्रचालनिक परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन				
दरसूचियां	-		-	
व्यापार प्राप्य	(61,368,272)		(74,404,721)	
अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	(1,501,907)		10,037,896	
दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	# VALUE!		-	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(958,763)		14,536	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	# VALUE!		(243,777)	
प्रचालनिक देयताओं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन				
व्यापार प्राप्य	(730,524)		(55,690,171)	
आस्थगित कर देयता	47,219,514		(15,106,190)	
अन्य चालू देयताएं	146,341,876		45,217,789	
अन्य दीर्घकालीन देयताएं	(409,134)		3,664,026	
अल्पकालीन प्रावधान	-		-	
दीर्घकालीन प्रावधान		12,84,69,126		(86,510,612)
		41,21,28,395		102,793,484
		-		-
असाधारण मदों से रोकड़ प्रवाह				102,793,484
प्रचालनों से सृजित रोकड़		(60,150,381)		(14,965,547)
शुद्ध आय कर (टीडीस सहित)(प्रदत्त)/धन वापसी				
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) शुद्ध रोकड़ प्रवाह (क)				87,827,937.00
ख. निवेश गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह				
पूंजीगत अग्रिमों सहित नियत परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	(11,260,911)		(195,836,179)	
नियत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि	-		-	
अंतर निगमित जमा राशियां (निवल)	-		-	
प्राप्त ब्याज				
- सहायक कंपनियां	-		-	
- एसोसिएट्स	-		-	
- संयुक्त उपक्रम	-		-	
- अन्य	-		-	
असाधारण मदों से रोकड़ प्रवाह		(11,260,911)		(195,836,179)
शुद्ध आय कर (भुगतान)/धन वापसी		-		-
निवेश गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ख)		(11,260,911)		(195,836,179)

ग. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
इक्विटी शेयरों को जारी करने से प्राप्त राशि			-	
शेयर आवेदन राशि प्राप्त/(धन वापसी)	250,000,000.00		-	
दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्ति(धारक कंपनी से)	-166,540,000		141,468,457	
कार्यशील पूंजीगत ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	-		-	
वित्तीय लागत	-56,059,503		-48,589,612	
लाभांश पर कर	-		-	
		27,400,497		92,878,845
असाधारण मदों से रोकड़ प्रवाह		-		-
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ग)		27,400,497		92,878,845
रोकड़ व रोकड़ समतुल्यों ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)(क+ ख+ ग)		16,139,586		(15,129,397)
वर्ष के आरंभ में रोकड़ व रोकड़ समतुल्य		40,315,307		55,444,704
विदेशी मुद्रा रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य की पुनर्बहाली में विनिमय दर अंतर का प्रभाव		-		-
वर्ष के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य		56,454,893		40,315,307
तुलन पत्र के साथ रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य का समायोजन :				
तुलन पत्र के अनुसार रोकड़ प्रवाह तथा रोकड़ समतुल्य		408,432,907		40,315,307
घटाः बैंक शेष जिसे रोकड़ या रोकड़ समतुल्य नहीं माना गया जैसा कि एएस-3 रोकड़ प्रवाह विवरण में दिया गया है		-		-
शुद्ध रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य, रोकड़ प्रवाह में एएस-3 के में परिभाषित अनुसार)		408,432,907		40,315,307
जमाः चालू निवेश जिसे रोकड़ या रोकड़ समतुल्य नहीं माना गया		-		-
वर्ष के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य *		408,432,907		40,315,307
* इसमें शामिल हैं:				
(क) उपलब्ध रोकड़		-		-
(ख) उपलब्ध चैक तथा ड्राफ्ट		-		-
(ग) बैंक में शेष				
(i) चालू खाते में		3,802,579		4,461,251
(ii) ईईएफसी खाते में		-		-
(iii) फलैक्सी खातों में		56,848,889		8,438,993
(iii) 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाल सावधि जमा खाते		197,781,439		27,415,063
(iv) निर्धारित खाते मे		-		-
(v) पारगमन मे प्रेषण		150,000,000		
(घ) अन्य बैंक शेष (3 महीने से 12 महीने तक की परिपक्वता वाली आवधि जमा)		-		-
(ड.) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के भाग के रुप में समझा जाने वाल चालू निवेश		-		-
		408,432,907		40,315,307

नोट

(i) रोकड़ प्रवाह विवरण चालू तथा बंद प्रचालनों के संबंध में संयुक्त रोकड़ प्रवाहों को दर्शाता है।

(ii) बैंकों के इन निर्धारित खाता शेषों का प्रयोग केवल विशिष्ट चिह्नित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(iii) अनुसूची V। के अनुसार नए फार्मेट के अनुरुप पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्निर्धारित किया गया है।

वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में संलग्न नोटों को देखें

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003013एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

तरुण कुमार बत्रा	अनिकेत खेत्रपाल	सी.के.नायर	दीपशिखा गुप्ता	सुरजीत दत्ता	हितेश खन्ना
(साझेदार)	वित्त प्रमुख	सीईओ	कंपनी सचिव	निदेशक	निदेशक
सं.सं. 094318				(डीआईएन-06687032)	(डीआईएन-02789681)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.07.2015

नोट सं.1

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लेखों के भाग का निर्माण करने वाली महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

I. तैयार करने के आधार

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोद्भवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।
ख) लेखों को सतत अवधारणा के आधार पर तैयार किया जाता है, जहां राजस्व का लेखांकन और व्ययों का लेखांकन उनके होने पर किया जाता है।
ग)वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं ।

II. अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा-133 में विनिर्दिष्ठ लेखांकन मानकों के सभी सामग्रीगत पहलुओं का अनुपालन किया गया है।

III. विदेशी मुद्रा सौदे

क) भारतीय प्रचालनों के सौदे

विदेशी मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता हैः
i) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित क्रय दर पर किया जाता है।
ii) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर अंतरण मूल्य दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।
iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद क्रय दर पर प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को किया जाता है।

ख) <u>एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार</u>

विदेशी शाखाओं की विदेशी मुद्रा का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता हैः
i) राजस्व मदों को भारतीय मुद्रा में संव्यवहार की तिथि को क्रय दर के आधार पर रूपांतरित किया जाता है।
ii)स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय दर पर परिवर्तित किया ज ाता है।
iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य रूपांतरित करने के लिए जाना जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।
iv) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित की जाती हैं।
v) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को तार क्रय दरों पर रूपांतरित किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) <u>गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार</u>

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैः
1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

2) आय और व्यय मदों को लेन-देन की तारीख को क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

IV. स्थिर परिसम्पत्तियाँ

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

घ) प्रगतिरत पूंजीगत कार्यः निर्माण गतिविधियों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय को लागत पर पूंजीकृत तथा मूल्यित किया जाता है। निर्माण के दौरान अप्रत्यक्ष व्यय/आकस्मिक व्यय को निर्माण या आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित व्यय के स्तर तक की लागत के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

ड.) अमूर्त परिसंपत्तियों को कार्य समाप्ति तक निर्माण की लागत घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित हानियों, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है।

V. निवेश

क. गैर-चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य, यदि कोई हो, में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. किसी भूमि या भवन में निवेश जिसका उद्देश्य कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाना या प्रचालन नहीं है, उसे निवेश संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। संपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यह्रास के निवल तथा संचित हानियों, यदि कोई हों, पर वर्णित किया जाता है।

VI. मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

i) प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं हैं उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष में लाभ और हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक(एफ.आई.एफ.ओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

VIII. रोकड़ एवं बैंक शेष

रोकड़ तथा बैंक शेषों में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा बैंक डिपाजिट, जिनकी परिपक्वता अवधि तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने तक है, शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उ÷श्य से रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में रोकड़, बैंक शेष, उपलब्ध चैक, बैंक ओवरड्राफ्ट पर निवल मांग जमा राशियां शामिल हैं।

VIII. प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत जमा लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है जहां लागत भुगतान वापसी योग्य है।
ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में त्रुटि देयता अवधि के दौरान कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है, जिसमें संविदागत बाध्यता, उप-ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
iii) न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के मद्देनजर प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के संभावित जोखिम के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाये। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-
i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और
iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।
जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

IX. संविदा राजस्व का लेखांकन

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता हैः

(क) लागत जाम लाभ ठेकों में, राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

(ग)इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

(घ) राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवा कर आदि सम्मिलित नहीं है।

X. संयुक्त उद्यम ठेके के लिए निष्पादन

क. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखांकित किया जाता है।

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निष्पादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

XI. पट्टे

क. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में आय के रूप में लिया गया है।

ख. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी को पट्टा अवधि के लिए पट्टा अवधि पर सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में लिया गया है।

XII. निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

क) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये विलंबों से उत्पन्न निर्णीत हर्जानों/दंडों को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । संविदागत बाध्यता से उत्पन्न

निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं है और ग्राहक से वसूला नहीं गया, हो तो उसे प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।
ख) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

XIII. अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास पर व्ययों को लाभ/हानि में प्रभारित किया जाता है।

XIV. संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

XV. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

क) मूर्त पसिंपत्तियों पर मूल्ह्रास का प्रावधाना कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी लाइन आधार पर किया जाता है।

ख) पट्टे की भूमि के संबंध में (पट्टे से इतर) मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ड) वर्ष के दौरान पृथक रुप से 5000 रू. तक की लागत वाली मूर्त परिसम्पत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

क) 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयरों को उक्त साफ्टवेयर के सफलतापूर्वक प्रचालित होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर 36 महीनों के अवधि में परिशोधित किया जाएगा बशर्ते प्रत्येक वित्त वर्ष में अंत में इसकी समीक्षा हो। पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर, 25 लाख रुपए तक के मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयर को क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

ख) उपर्युक्त लेखांकन नीति सं. (iv)(घ) में उल्लिखित पूंजी व्यय को उस वर्ष से पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाता है, जिस वर्ष संबंधित परियोजना वाणिज्यिक प्रचालनों में आई है।

XVI. उधार लागतें

क) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्रभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।
ख) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

XVII. सेवानिवृत्ति लाभ

क)कंपनी के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति नामांकन/सेकंडमेंट आधार पर हैं और इसकी धारक कंपनी के रोल पर हैं। छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।
ख) इसी प्रकार, नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।
ग) इसी प्रकार, नामांकन/सेकंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के सभी अन्य प्रावधान उनकी धारक कंपनी द्वारा तैयार किए गए हैं।
घ) केवल श्रीलंका शाखा में तैनात संविदागत कर्मचारियों के लिए लेखा बहियों में अवकाश वेतन का प्रावधान किया गया है क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

XVIII. पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

क) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वप्रदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

XIX. कर

क) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ख) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

XX. परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी लेखांकन अवधि की समाप्ति पर हानिकरण के लिए परीक्षण तभी और केवल तभी करती है जब ऐसे संकेत उपस्थित होते हैं कि परिसंपत्तियों के वसूलनीय मूल्य में संभावित कमी हुई है। यही परिसंपत्ति की वसूलनीय मूल्य राशि यथा मूल्य सृजन इकाई के प्रयोग में निवल वसूलीयोग्य मूल्य या आर्थिक मूल्य परिसंपत्ति की वहन राशि से कम हो, और इस अंतर को हानिकरण माना जाता है।

तथापि, यदि तत्पश्चात, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और वसूलनीय मूल्य वहन मूल्य से अधिक हो जाता है तो उक्त अंतर के लिए किए गए प्रावधान को विपरीत किया जाता है किन्तु प्रावधान की गई राशि से अधिक नहीं।

XXI. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना के भौगोलिक स्थल यथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, के आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों तथा अपने व्यावसायिक क्षेत्र यथा परामर्शदात्री सेवा, श्रमशक्ति की आपूर्ति, बहुउद्देशीय परिसरों को उप पट्टे पर देना, संयंत्र और मशीनरी और अन्यों के आधार पर दो सेकेंडरी रिपोर्टिंग सेगमेंटों को चिह्नित किया है।

XXII. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i) भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii) वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

iii) एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

नोट सं . 2

शेयर पूंजी

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
प्राधिकृत 6,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. (पिछले वर्ष 4,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रु.)	**650,000,000**	**400,000,000**
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त 4,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.-पूर्णत प्रदत्त (पिछले वर्षः 4,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.)	400,000,000	400,000,000
कुल	**400,000,000**	**400,000,000**

कपनी में 5 प्रतिशत से अधिक क शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

शेयर के प्रकार	शेयर धारक का नाम	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		शेयरों की संख्या	धारण का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारण का प्रतिशत
इक्विटी शेयर (प्रति 10 रुपए की फेस वेल्यू)	इरकॉन इंटरनेशनल लि. (धारक कंपनी)	40,000,000	100%	40,000,000	100%
	कुल	**40,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**100%**

शेयर पूंजी का विनियोजनः

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
आरंभिक शेयर पूंजी	40,000,000	400,000,000	40,000,000	400,000,000
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
अंतिम शेयर पूंजी	**40,000,000**	**400,000,000**	**40,000,000**	**400,000,000**

नोटः

1) वर्ष के दौरान कपनी ने अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढाकर रु. 40,00,00,000 से रु. 65,00,00,000 कर दिया है।

2) कंपनी में 10.00 प्रति शेयर के सम-मूल्य वाली इक्विटी की केवल एक श्रेणी विद्यमान है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। ऋणशोधन की स्थिति में, सभी अधिमान्य राशियों के संवितरण के पश्चात शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के पात्र होंगे।

नोट 3

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क. सामान्य आरक्षित निधियां				
अधिशेष	121,876,248		45,271,842	
जमाः चालू वर्ष अंतरण	109,259,742	231,135,990	76,604,406	121,876,248
ख. लाभ और हानि विवरण में शेष				
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	109,259,742		76,604,406	
जमाः आरक्षित निधि से अंतरण	-		-	
	109,259,742		76,604,406	
घटाः विनियोजन				
-सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	109,259,742	-	76,604,406	-
कुल		**231,135,990**		**121,876,248**

नोट सं. 4

शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
शेयर आवेदन राशि संबंधित पक्ष - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	250,000,000	-
कुल	250,000,000	-

नोट: कंपनी ने 27 मार्च 2015 को अपनी धारक कंपनी को रु. 25,00,00,000 के 10 रुपए प्रति शेयर के 2,50,00,000 इक्विटी शेयरों के लिए राइट इश्यू जारी किया है और 31 मार्च 2015 को इसके प्रति रु.25,00,00,000 की राशि प्राप्त की है। 31 मार्च 2015 को शेयर आवंटन के लिए लंबित है।

नोट सं 5

दीर्घकालीन देयता ऋण

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
संबंधित पक्ष से ऋण*		
- इरकॉन इंटरनेशनल लि.	315,000,000	481,540,000
कुल	**315,000,000**	**481,540,000**

* नोटः इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) तथा आपकी कंपनी के बीच पुनर्भुगतान के किसी कार्यक्रम की सहमति नहीं हुई है और इसलिए संपूर्ण बकाया राशि को दीर्घकालीन ऋण माना गया है।

नोट सं. 6

आस्थगित कर परिसंपत्ति

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2014 को	वर्ष के दौरान जमा(घटा)	31 मार्च 2015 को
परिसंपत्ति			
प्रावधानः			
- प्राथमिक व्यय बट्टा खाता	-	-	-
- उपदान*	-	-	-
- अवकाश वेतन	1,653,687	(139,065)	1,514,622
कुल	**1,653,687**	**(139,065)**	**1,514,622**
पिछले वर्ष	51,689	1,601,998	1,653,687

* नोट सं.29 का संदर्भ ले।

आस्थगित कर देयता

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2014 को	वर्ष के दौरान जमा(घटा)	31 मार्च 2015 को
स्थित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	10,024,946	60,341,521	70,366,467
कुल	**10,024,946**	**60,341,521**	**70,366,467**
पिछले वर्ष	3,976	10,020,970	10,024,946

आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	-
आस्थगित कर देयता (निवल)	68,851,845

नोट सं.7

अन्य दीर्घकालीन ऋण

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
(क) व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (नोट 27(i) का संदर्भ लें)	-	-
- अन्य	-	-
(ख) अन्य देयताएं		
-एमएफसी के उप-पट्टाकरण से अपफ्रंट राशि (नोट 38 का संदर्भ लें)	191,559,665	45,217,789
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा राशि	-	-
कुल	**191,559,665**	**45,217,789**

नोट सं 8

प्रावधान

विवरण	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	1 अप्रैल 2014 को शेष	2014-15 के दौरान					31 मार्च 2015 को शेष	दीर्घकालीन
				जमा	बट्टा खाता	उपयोगिता	विनिमय लाभ	विनिमय हानि		
प्रावधानः										
क कर्मचारियों से संबंधित										
सेवानिवृत्ति लाभ										
अवकाश वेतन	-	4,865,216	4,865,216	382,850	-	1,023,292	-	231,308	4,456,082	-
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान	**-**	**4,865,216**	**4,865,216**	**382,850**	**-**	**1,023,292**	**-**	**231,308**	**4,456,082**	**-**
ख अन्य										
आय कर	-	49,974,293	49,974,293	34,047,292	910,896	29,266,193	-	-	53,844,496	-
कुल अन्य प्रावधान (ख)	**-**	**49,974,293**	**49,974,293**	**34,047,292**	**910,896**	**29,266,193**	**-**	**-**	**53,844,496**	**-**
ग सकल योग(ग = क+ ख)	**-**	**54,839,509**	**54,839,509**	**34,430,142**	**910,896**	**30,289,485**	**-**	**231,308**	**58,300,578**	**-**
घ घटा : अलग से विचारार्थ										
आयकर समायोजन/पृथक रूप से विचारार्थ		-	-	34,047,292	910,896	29,266,193	-	-	**-**	**-**
कुल (घ)	**-**	**-**	**-**	**34,047,292**	**910,896**	**29,266,193**	**-**		**-**	**-**
निवलः चालू वर्ष(ग-घ)	**-**	**54,839,509**	**54,839,509**	**382,850**	**-**	**1,023,292**	**-**	**231,308**	**58,300,578**	**-**
पिछले वर्ष	-	9,583,609	9,583,609	3,664,026	-	-		-	54,839,509	-

नोटः

नोट 29 में विचारार्थ सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधान	4,456,082
	(409,134)
	3,870,203
	-34456426.18

नोट सं 9

व्यापार देय राशियां

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम(नोट सं. 27(i) का संदर्भ लें)	-	-
- लघु क्षेत्रक औद्योगिक इकाइयां (नोट सं. 27(ii) संदर्भ लें)	-	-
- अन्य		
(क) ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को	19,775,684	3,909,796
(ग) संबंधित पक्षों को		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	10,299,868	26,896,280
कुल	**30,075,552**	**30,806,076**

नोट सं 10

अन्य चालू देयताएं

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
(क) अग्रिम में प्राप्त आय	54,624,844	3,816,667
(ख) अन्य देय राशियां		
- जमा व प्रतिधारण राशियां	10,608,303	6,118,823
- सांविधिक देय	7,608,103	8,382,411
- बुक ओवर ड्राफ्ट	-	-
- स्टाफ	4,113,891	6,227,530
- अन्य	40,676	163,272
(ग) ग्राहकों से अग्रिम- संबंधित पक्ष		
(i) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	229,917
(घ) अन्य देय राशियां संबंधित पक्ष		
(i) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड		
- कर्मचारियों के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति आदि के प्रति	21,961,032	15,838,506
- ऋण पर देय ब्याज	50,424,177	61,384,386
कुल	**149,381,026**	**102,161,512**

नोट सं 11

स्थिर परिसंपत्तियाँ

(आंकड़े रुपए में)

क्र.सं	स्थिर परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लाक				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2014 को	जमा	बिक्री/समायोजन	31-3-2015 तक	01-4-2014 को	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31.03.2015 तक	01.04.2015 को	31.03.2014 को
क	मूर्त परिसंपत्तियां										
	संयंत्र और मशीनरी	126,674,773			126,674,773	5,063,486	9,890,998		14,954,484	111,720,289	121,611,287
	कंप्यूटर	180,879	249,720		430,599	29,551	87,879		117,430	313,169	151,328
	फर्नीचर, जुड़नार, फर्निशिंग	18,077	84,128		102,205	1,870	44,018		45,888	56,317	16,207
	कार्यालय उपकरण	-	23,649		23,649	-	2,972		2,972	20,677	-
	चालू वर्ष कल	126,873,729	357,497	-	127,231,226	5,094,907	10,025,867	-	15,120,774	112,110,452	121,778,822
	पिछले वर्ष	47,989	126,825,740	-	126,873,729	2,142	5,092,765	-	5,094,907	121,778,822	45,847
ख	अमूर्त परिसंपत्तियां										
	पट्टा अधिकार	665,947,470	293,494,106	-	959,441,576	1,566,592	14,697,175		16,263,767	943,177,809	664,380,878
	चालू वर्ष कल	665,947,470	293,494,106	-	959,441,576	1,566,592	14,697,175	-	16,263,767	943,177,809	664,380,878
	पिछले वर्ष	-	665,947,470	-	665,947,470	-	1,566,592	-	1,566,592	664,380,878	-
	चालू वर्ष का सकल योग	792,821,199	293,851,603	-	1,086,672,802	6,661,499	24,723,042	-	31,384,541	1,055,288,261	786,159,700
	पिछले वर्ष	47,989	792,773,210	-	792,821,199	2,142	6,659,357	-	6,661,499	786,159,700	45,847

नोट : 1. वर्ष के लिए मूल्यह्रास /परिशोधन निम्नानुसार आवंटित किया गया है :-

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	2014-15	2013-14
लाभ एवं हानि का विवरण		
चालू	24,723,042	6,659,357
पिछली अवधि	-	-
कुल	24,723,042	6,659,357

2. पट्टा अधिकार - कंपनी ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुउ्देशीय परिसरों (एमएफसी) के निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस भूमि पर भवनों का निर्माण किया है तथा बहुउ्देशीय परिसर आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों तक के लिए उसमें पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) हैं।

3. पट्टा अधिकार को आनुपातिक आधार पर पट्टे के वाणिज्यिक प्रचालन में आने की तिथि से संबंधित परियोजना की पट्टा अवधि में परिशोधित किया गया है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि 146.97 लाख रुपए (15.66 लाख रुपए) है।

नोट सं. 12

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2014 को आरंभिक शेष	2014-15 के दौरान जमा	सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त संपत्तियों में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार)	31 मार्च 2015 को शेष
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य *	888,539,473	2,609,746	(285,200,438)	605,948,781
कुल	888,539,473	2,609,746	(285,200,438)	605,948,781

* प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों का ब्यौरा

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2014 को आरंभिक शेष	2014-15 के दौरान जमा	सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त संपत्तियों में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार)	31 मार्च 2014 को शेष
बहुअंशीय परिसर - दीघा परियोजना	133,015,891		(133,015,891)	-
बहुअंशीय परिसर - सिलिगुढी परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - इलाहबाद परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - एल्लेप्पी परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - बर्धमान परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - बिलासपुर परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - ग्वालियर परियोजना	49,777,234		(49,777,234)	-
बहुअंशीय परिसर - हरिद्वार परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - हुबली परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - हैदराबाद परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - इंदौर परियोजना	54,241,917		(54,241,917)	-
बहुअंशीय परिसर - जबलपुर परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - जोधपुर परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - जम्मू परियोजना (एमएफसी)	6,402,004	2,609,746		9,011,750
बहुअंशीय परिसर - जम्मू परियोजना (रेल यात्री निवास)	48,165,395		(48,165,395)	-
बहुअंशीय परिसर - कन्नूर परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - मदुरै परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - मैसूर परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - रायपुर परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - राजगीर परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - रामपुरहाट परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - तारापीठ परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - तिरुवल्ला परियोजना	-			-
बहुअंशीय परिसर - उदयपुर परियोजना	-			-
कुल	291,602,442	2,609,746	(285,200,438)	9,011,750

नोट सं. 31 का संदर्भ लें

नोट सं 13

दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क. अरक्षित वसूली योग्य प्रतिभूति जमा - सांविधिक विभागों में -	358,188	358,188	245,000	245,000
कुल		**358,188**		**245,000**

ऊपर लिखित ऋण तथा अग्रिम में निदेशक, कंपनी के अन्य अधिकारी, फर्म द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिसमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें निदेशक एक सदस्य है, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों को छोड़कर, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

विवरण	2014-15	2013-14
निदेशक *	-	-
कंपनी के अन्य अधिकारी *	-	-
फर्म जिनमें निदेशक साझेदार हैं*	-	-
निजी कंपनियां जिनमें निदेशक सदस्य है	-	-

* पृथक रुप से या संयुक्त रुप से

ऊपर लिखित ऋण तथा अग्रिम में कंपनी के अधिकारियों, फर्म द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं जिसमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें निदेशक एक सदस्य है।

नोट सं 14

अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम	254,253		240,873	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्य			-	240,873
		254,253		
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
12 महीने से अधिक की सावधि जमा राशियां		-		-
निम्नलिखित पर संचित ब्याजः				
- स्टाफ को अग्रिम	-		2,904	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्य	-		-	
		-		2,904
ग. संदिग्ध समझे गए				
घटाः _____ के लिए प्रावधान				
		254,253		243,777

ऊपर उल्लिखित गैर चालू परिसंपत्तियों में कंपना, फर्म के निदेशक, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं है जिनमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें निदेशक सदस्य है।

नोट सं.15

व्यापार प्राप्य *

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
अरक्षित :				
भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य				
(क) संबंधित पक्षों से -				
इरकॉन इंटरनेशनल लि.	32,370		1,576,212	
(ख) अन्यों से	16,277,967		-	
- संदिग्ध समझे गए		16,310,337	-	1,576,212
अन्य - भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से कम की अवधि के बकाया				
- वसूली योग्य				
(क) संबंधित पक्षों से -				
इरकॉन इंटरनेशनल लि.	72,524,961		90,279,397	
(ख) अन्यों से	78,176,144		13,787,561	
- अशोन्य	-		-	
		150,701,105		104,066,958
कुल		**167,011,442**		**105,643,170**

ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा ऋण शामिल नहीं हैं जिनमें निदेशक सदस्य हैं सिवाय इसके जैसा कि निम्न दर्शाया गया है

* धारक कंपनियों के लिए देय राशि शामिल है :

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया	32,370	1,576,212
अन्य - भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से कम की अवधि के बकाया	72,524,961	90,279,397
कुल	**72,557,331**	**91,855,609**

नोट सं 16

रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य

(आंकड़े रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य				
क)	हाथ रोकड़		-		-
ख)	हाथ में चैक/ड्राफ्ट		-		-
ग)	बैंकों में शेष				
	चालू खातों में	3,802,579		4,461,251	
	फ्लैक्सी खातों में	56,848,889		8,438,993	
	आवधिक खातों में (3 महीनों से कम परिपक्वता अवधि वाले)	197,781,439	258,432,907	27,415,063	40,315,307
घ)	पारगमन के दौरान		150,000,000		-
	अन्य बैंक शेष				
	- आवधिक खातों में (3 माह से अधिक व 12 माह तक की परिपक्वता अवधि वाले)		-		-
	कुल		**408,432,907**		**40,315,307**

* नोटः पारगम मे रैमिटेंस, सावधि जमा के लिए आंध्रा बैंक में 31.03.2015 को हस्तांतरित निधियों के संबंध में है, किन्तु समापन तिथि को बैंक द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया गया है। इसके लिए सावधि जमा 02.04.2015 को जारी किया गया है।

नोट सं 17

अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क. रक्षित, वसूली योग्य				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	232,314		672,297	
सामग्री व मशीनरी के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	-	232,314	-	672,297
ख. अरक्षित, वसूली योग्य				
संबंधित पक्षों को अग्रिम				
-ठेकेदारों को अग्रिम -				
इरकॉन इंटरनेशनल लि.	-		-	
सांविधिक विभागों के साथ जमा	-		-	
स्टाफ ऋण व अग्रिम	32,851		98,013	
जमा तथा प्रतिधारण राशि	2,891,614		400,000	
ग्राहकों से वसूलनीय दावे	-		-	
बिक्री कर	-		-	
सेवा कर (निवल)	38,462		711,437	
आय कर (टीडीएस सहित)	49,527,448		18,643,260	
पूर्वप्रदत्त व्यय	188,413		-	
अन्य	-	52,678,788	-	19,852,710
कुल		**52,911,102**		**20,525,007**

ऊपर उल्लिखित ऋण एवं अग्रिम में कंपनी के अन्य अधिकारियों द्वारा ऋण शामिल नहीं हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य हैं।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौराः

विवरण	2014-15	2013-14
स्टाफ ऋण व अग्रिम	-	-

नोट सं 18

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याजः		
स्टाफ ऋण और अग्रिम (रक्षित)		
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		
बैंकों में एफडीआर	1,036,753	77,990
कुल	**1,036,753**	**77,990**

नोट सं. 19

प्रचालनों से राजस्व

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	2014-15	2013-14
(क) सेवाओं का विक्रय		
अभिकल्प परामर्श		
- अन्य	29,832,329	1,353,072
- संबंधित पक्ष	-	-
उप-कुल	29,832,329	1,353,072
एमएफसी के उप-पट्टाकरण से पट्टा किराया*		
- अन्य	80,947,124	4,857,106
- संबंधित पक्ष	-	-
उप-कुल	80,947,124	4,857,106
श्रमशक्ति आपूर्ति		
- अन्य	-	-
- संबंधित पक्ष	177,821,930	267,803,029
उप कुल	177,821,930	267,803,029
संयंत्र और मशीनरी का पट्टाकरण		
- अन्य	-	-
- संबंधित पक्ष	61,699,378	21,237,804
उप-कुल	61,699,378	21,237,804
(क) अन्य प्रचालन राजस्व		
सीएसआर परियोजनाओं का निष्पादन		
- अन्य	8,956,084	-
- संबंधित पक्ष	4,618,765	15,500,965
उप-कुल	13,574,849	15,500,965
कुल	**363,875,610**	**310,751,976**

* नोट 38 का संदर्भ लें।

नोट सं 20

अन्य आय

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	2014-15	2013-14
बांड पर ब्याज (सकल)	-	-
बैंक ब्याज सकल	4,384,426	4,077,695
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	28,355	46,664
प्राप्ति योग्य तथा अग्रिम राशिया पर ब्याज	17,563,553	-
अन्य गैर प्रचालनिक आय		
- अन्यों से	1,091,403	1,092,465
- संबंधित पक्षों से (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	28,164,958	3,903,591
कुल	**51,232,695**	**9,120,415**

* नोट 49 का संदर्भ ल।

नोट सं 21

प्रचालन की लागत, कर्मचारी लाभ व्यय तथा अन्य व्यय

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	वर्ष के लिए व्यय		वर्ष के लिए अन्य व्यय	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
1. व्यय				
कार्य व्यय (i)	57,125,165	17,942,535		
कुल कार्य व्यय	**57,125,165**	**17,942,535**		
2. अन्य व्यय				
दरें एवं कर	-	-	-	-
यात्रा और वाहन		58,533	2,576,396	2,108,849
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	-	-	123,421	359,186
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स	-	-	51,236	37,680
विधिक और व्यावसायिक प्रभार		1,206,700	457,140	838,788
बीमा	-	-	188,313	262,245
बैंक और अन्य वित्तीय प्रभाव	-	-	306,155	16,911
लेखापरीक्षकों की फीस (ii)	-	-	93,725	81,500
विज्ञापन और प्रसार		3,010,067	2,214,227	95,683
विविध व्यय	-	-	332,124	1,229,952
शुल्क एवं अंशदान प्रभार	-	-	2,269,822	14,099
मानदेय	-	-	14,000	22,100
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-	11,600	8,900
अन्य व्ययों का जोड़	**-**	**4,275,300**		
कुल प्रचालनिक व्यय (1+ 2)	**57,125,165**	**22,217,835**		
3. कर्मचारी लाभ व्यय				
वेतन एवं पारिश्रमिक	62,883,048	96,350,977		
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	1,818,162	2,323,950		
अवकाश वेतन का प्रावधान	382,850	3,664,026		
कर्मचारी लाभ व्यय का योग	**65,084,060**	**102,338,953**		
4. विनिमय उच्चावचन हानि				
विनिमय उच्चावचन हानि			2,508,310	1,177,700
घटाः विनिमय उच्चावन लाभ			(1,906,658)	(242,086)
शुद्ध विनिमय उच्चावचन हानि			601,652	935,614
कुल व्यय	**122,209,225**	**124,556,788**	**9,239,811**	**6,011,507**

प्रचालना की लागत का ब्यौरा

विवरण	2014-15	2013-14
कार्य व्यय - सीएसआर	11,295,624.00	14,752,038.00
कार्य व्यय - परामर्श कार्य	23,805,040.00	919,250.00
कार्य व्यय - एमएफसी को पट्टे पर देना	17,428,098.00	606,220.00
ईएमपी लैब के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए कार्य व्यय	4,596,403.00	1,665,027.00
कुल	57,125,165.00	17,942,535.00

सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	2014-15	2013-14
(i)लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	63,250	55,000
(ii)कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	18,975	16,500
(iii) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	11,500	10,000
लाभ व हानि विवरण से प्रभारित राशि	93,725	81,500

नोट सं 22

वित्त लागत

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	2014-15	2013-14
ब्याज व्यय - संबंधित पक्षों से ऋण पर ब्याज (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	56,059,503	48,589,612
कुल	**56,059,503**	**48,589,612**

प्रकटनों सहित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

23. प्रासांगिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :

(क)कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है कि राशि शून्य रुपए (शून्य रुपए)है।

(ख) इसके अतिरिक्त, कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित नहीं हैं।

24. पूंजी प्रतिबद्धताः

17.02.2009 के समझौता ज्ञापन के अनुसार आकलित किए जाने वाले 10529.93 लाख रुपए (10,529.93 लाख रुपए) के ठेकों के कुल अनुमानित मूल्य में से 9683.53 लाख रुपए (9575.50 लाख रुपए) तक के कार्य को नियत परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों में दर्शाया गया है। 845.40 लाख रुपए (954.43 लाख रुपए) की अनुमानित राशि के ठेकों को पूंजीगत लेखों में बनाये रखा गया है और उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

25. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों के अधीन दर्शाए जा रहे कुछ शेष विषयानुसार पुष्टिकरण/समायोजन यदि कोई हो, के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर्युक्त सहित, पक्षों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर(टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन / समायोजन, यदि कोई हो, के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

26. प्रति शेयर मौलिक आय का परिकलन कर पश्चात निवल आय रुपए 1092.60 लाख रुपए (766.04 लाख रुपए) को पूर्णत औसत संख्या में 4,00,00,000 (4,00,00,000) पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयरों से विभाजित करके किया गया है। चूंकि यहां कोई अवमिश्रित शामिल नहीं है, प्रति शेयर अवमिश्रित आय प्रति शेयर मूल आय के समान है।

27. क) कंपनी को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत आते हैं। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2015 को सूक्ष्म, लधु तथा मध्यम उद्यमों को कोई राशि देय नहीं है।

ख) कंपनी को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे लघु औद्योगिक यूनिट हैं। इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2015 को लधु औद्योगिक उपक्रम को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि शून्य (शून्य) है।

28. (क) आयातों पर सीआईएफ मूल्यः

(रुपए लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
सामग्री /मशीनरी	शून्य	1,120.16
उपभोज्य, घटक और कलपुर्जे	शून्य	113.85
कुल	शून्य	1,234.01

(ग) विदेशी मुद्रा में अर्जन : (रुपए लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
कार्य पावतियां	2,395.22	2,890.41
बैंक ब्याज	0.69	3.86
अन्य ब्याज	0.00	0.00
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ(निवल)	0.00	0.00
अन्य	281.65	42.10
कुल	2,677.56	2,936.37

(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रुपए लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
प्रचालनिक व्यय	507.57	899.97
परामर्शदात्री प्रभार	1.42	3.14
विदेशी विनिमय उच्चावचन हानि (निवल)	6.02	9.36
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय	101.71	89.03
कुल	616.72	1,001.50

29. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। इनके भविष्य निधि अंशदान, उपदान, छुट्टी नगदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को इनकी धारक कंपनी से इनवाइज/डेबिट एडवाइस के आधार पर प्रगतिरत शीर्षों में पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। एएस-15(संशोधित) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का प्रावधान लेखांकन नीति (नोट सं.1, बिन्दु सं. (xvii)) के अनुसार उनकी धारक कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

तथापि, कंपनी ने श्रीलंका परियोजना तथा मलेशिया परियोजना के लिए अनेक कर्मचारियों को संविदा आधार पर नियुक्त किया है। इन कर्मचारियों के वेतन को श्रीलंका शाखा तथा मलेशिया शाखा में बुक किया जा रहा है और अवकाश नकदीकरण, जिसके लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है, के अतिरिक्त उन्हें किसी प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को धारक कंपनी द्वारा अपने भविष्य निधि ट्रस्ट में नियमित रुप से जमा कराया जा रहा है।

30. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी धारक कंपनी से 650 लाख रुपए(2,784.43 लाख रुपए) का ऋण लिया है। वर्ष के दौरान 2315.40 लाख रुपए (1369.75 लाख रुपए) की राशि का पुनर्भुगतान किया गया है और अब बकाया ऋण 3150.00 लाख रुपए (4815.40 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान ऋण पर भुगतान किया गया देय ब्याज 560.59 लाख रुपए (682.05 लाख रुपए) है।

31. (i) रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009-10 के तहत चिह्नित स्थलों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास की घोषणा की है जिन्हें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा संयुक्त रुप से विकसित किया जाएगा।

(ii) तदनुसार इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच 21.08.2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 21 अगस्त, 2009 को इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार बहुउद्देशीय परिसरों के विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय परिसरों के लिए आरएलडीए तथा डब्ल्यूओएस यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के बीच दिनांक 04.07.2013 को एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(iii) निर्माण गतिविधियों से संबंधित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सभी व्ययों को पूंजीकृत किया गया है और उनका मूल्यन लागत पर किया गया है। निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्यय/ आकस्मिक व्यय को संबंधित निर्माण या आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित व्यय के स्तर तक लागत आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

(iv) वर्ष के दौरान 04 बहुउद्देशीय परियोजनाओं, जिन्हें पूर्व में प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया गया था, को अमूर्त परिसंपत्तियों (नियत परिसिंपत्तियों) के अंतर्गत पट्टा (वाणिज्यिक) अधिकारों में पूंजीकृत और हस्तांतरिक किया गया था तथा इनके नाम हैं एमएफसी -दीघा, एमएफसी - ग्वालियर, एमएफसी - इंदौर, एमएफसी तथा एमएफसी - जम्मू (रेल यात्री निवास)।

(v) बहुउद्देशीय परिसर जम्मू (वाणिज्यिक परिसर) को छोडकर बाकी सभी बहुउद् देशीय परिसर परियोजनाओं को पूंजीकृत किया गया है और सभी व्ययों और ऋण पर ब्याज को विचाराधीन वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते मे प्रभारित किया गया है (जिसे पूर्व में विभिन्न परियोजनाओं में पूंजीकृत किया गया था)।

32. (i) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. (इरकॉन आईएसएल) के बीच 03.11.2011 तथा 08.06.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, इरकॉन चाहता है कि इरकॉन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों के कुछ क्षेत्रों में इरकॉन आईएसएल, डीपीई द्वारा जारी सीएसआर पर दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष एजेंट के रुप में कार्य करे।

(ii) समझौता ज्ञापन के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन के लिए इरकॉन द्वारा कार्य की लागत के प्रति इरकॉन आईएसएल मार्जिन के प्रति 5% की निर्धारित राशि का भुगतान करेगी। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र से राजस्व 46.19 लाख रुपए (155.01 लाख रुपए) है।

33. दिनांक 26.12.2012 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को श्रमिक-प्रतिदिन आधार पर इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए "श्रमशक्ति की आपूर्ति" का कार्य प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान इससे प्राप्त राजस्व 1315.08 लाख रुपए (2317.52 लाख रुपए) है। इस पर किया गया व्यय 521.48 लाख रुपए (909.56 लाख रुपए) है।

34. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 31.03.2015 के करार के अनुसार, इरकॉन आईएसएल ने दिनांक 23.11.2013 से किराया प्रभार पर इरकॉन की श्रीलंका परियोजना को "डोमेटिक टेंपिंग मशीन" को पट्टे पर दिया था। वर्ष के दौरान इससे 616.99 लाख रुपए (212.38 लाख रुपए) का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस पर किया गया व्यय 100.13 लाख (74.75 लाख) है ।

35. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 01.04.2013 के करार के अनुसार, इरकॉन

आईएसएल ने व्यक्ति-प्रति दिन आधार पर इरकॉन की मलेशिया परियोजना को "श्रमशक्ति की आपूर्ति" का कार्य सौंपा है। वर्ष के दौरान इससे 463.14 लाख रुपए (360.51 लाख रुपए) का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस पर किया गया व्यय है 4.40 लाख (17.19 लाख)।

36. कंपनी ने विभिन्न ग्राहको के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयो के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया है। इस कार्य के लिए कंपनी ने 10.23 लाख रुपए का व्यय किया है। इन परियोजनाओं के लिए कंपनी का अग्रिम के रुप मे 420.94 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान इन परीजनाओ से कोई राजस्व विचाराधीन नहीं है क्योंकि इन परियोजनाओं को 31.03.2015 तक आरंभ होना है।

37. वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने ईएमपी लेब के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कंपनी को जम्मू मे परिसंपत्तियो सहित ईएमपी लैब सुदुर्द कर दी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान जम्मू मे ईएमपी लैब के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 45.96 लाख रुपए खर्च किए है, जिसे लाभ एवं हानि खाते मे प्रभारित किया गया है और उपर्युक्त खर्च में 0.76 लाख रुपए के विद्युत व्यय शामिल हैं, जिसके लिए बिल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम पर है।यह श्रमशक्ति और अन्य प्रशासनिक व्ययो के लिए आरंभिक व्यय है। कंपनी ने पहले ही एनएबीएल की मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है और आगामी वर्ष मे इससे राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

38. कंपनी ने 19 बहुउद्देशीय परिसरों को उप-पट्टे पर दिया है। इसके लिए कंपनी को उप-पट्टाधारी से एकमुश्त भुगतान तथा मासिक किराया प्राप्त हुआ /प्राप्य है। वर्ष के दौरान पट्टे के अंतर्गत कुल राजस्व 809.47 लाख रुपए (48.57 लाख रुपए) हुआ है। उप-पट्टेधारी से प्राप्त/प्राप्य एकमुश्त भुगतान को आय के रुप में प्रोरेटा अधार पर पट्टा अवधि के लिए सीधी-रेखा आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में आय के रुप में दर्शाया गया है।

39. पट्टों के संबंध में प्रकटनः

I. कंपनी ने प्रचालनिक पट्टे पर कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है ।
II. बहुउद्देशीय परिसरों के लिए प्रचालनिक पट्टे

(क) कंपनी ने दिनांक 31.03.2015 को अनेक उप-पट्टाधारियों को 19 (उन्नीस) बहुउद्देशीय परिसर उप पट्टे पर दिए हैं।

(ख) गैर-रद्द पट्टे के अंतर्गत देय योग्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया/प्राप्य निम्नानुसार हैः

(रूपए लाख में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	1385.72 (314.71)	1395.02 (958.26)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ग. वर्ष के लिए बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने के संबंध में मूल्यह्रास/परिशोधन का प्रकटन :-

(रूपए लाख में)

परिसंपतियों का विवरण	2014-15	2013-14
परिसंपतियों की सकल राशि	9,594.41	2,046.58
संचित मूल्यह्रास/परिशोधन	162.64	15.67

(रूपए लाख में में)

विवरण	2014-15	2013-14
वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन	146.97	15.67

III. पट्टे पर दी गई संपत्तियों का विवरण

डोमेटिक टेंपिंग मशीन के लिए प्रचालन पट्टेः

(क) कंपनी ने दिनांक 31.03.2015 को धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को एक डोमेटिक टेंपिंग मशीन पट्टे पर उपलब्ध कराई है।

(ख) यह पट्टा गैर-रद्दीकृत नहीं है।

(ग) वर्ष के दौरान दर्शाई गई पट्टा आय 616.99 लाख रुपए (212.38 लाख रुपए) है।

(घ) इस पट्टा व्यवस्था में, डोमेटिक टेंपिंग मशीन को प्रचालक तथा उपभोज्यों के बिना पट्टे पर दिया गया है।

(ड.) मशीन के लिए मासिक किराया स्थिर व परिवर्ती किराए के रुप में प्राप्त होगा। पट्टाधारी द्वारा परिवर्ती किराए का भुगतान सामान्य कार्य घंटों पर अतिरिक्त कार्य घंटों के आधार पर पूर्व निर्धारित दर पर किया जाएगा।

40. सेगमेंट रिपोर्टिंगः

प्राथमिक सेगमेंट सूचना (भौगोलिक):

(लाख रुपए में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14	**2014-15**	2013-14
क. आवर्त्त						
प्रचालन से राजस्व	**2,395.22**	2,890.41	**1,243.54**	217.11	**3,638.76**	3,107.52
अन्य आय	**282.34**	45.97	**229.99**	45.24	**512.33**	91.21
अंत खण्ड		-				-
कुल राजस्व	**2,677.56**	2,936.38	**1,473.53**	262.35	**4,151.09**	3,198.73
ख. परिणाम						
प्रावधान पूर्व लाभ, मूल्यह्रास, ब्याज और कर	**2,163.87**	2,045.78	**676.55**	-116.11	**2,840.42**	1,929.67
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**3.83**	36.64	**-**	-	**3.83**	36.64
मूल्यह्रास	**98.91**	50.63	**148.32**	15.96	**247.23**	66.59
ब्याज	**0.29**	23.63	**560.30**	462.26	**560.59**	485.89
कर पूर्व लाभ	**2,060.84**	1,934.88	**-32.07**	-594.33	**2,028.77**	1,340.55
कर व्यय	**331.36**	648.46	**604.81**	-73.95	**936.17**	574.51
कर पश्चात् लाभ	**1,729.48**	1,286.42	**-636.88**	-520.38	**1,092.60**	766.04
ग. अन्य सूचना						
परिसंपत्तियां	**1,929.18**	2,058.57	**15,013.87**	10,389.55	**16,943.05**	12,448.12
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)						
देयताएं	**420.58**	113.72	**7,711.11**	7,115.64	**8,131.69**	7,229.36

पूंजीगत व्यय सावधिक परिसंपत्तियों को जोड़कर	**-**	1,266.75	**112.61**	691.61	**112.61**	1,958.36

गौण सेगमेंट सूचना (व्यापार):

(रुपए लाख में)

विवरण	**प्रचालन आय**		**सेगमैन्ट परिसम्पतियां**		**स्थिर परिसंपतियां जोड़कर**	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14	**2014-15**	2013-14
परामर्श सेवा	**298.32**	13.53	-	-	**-**	-
जनशक्ति की आपूर्ति	**1,778.22**	2,678.03	**654.49**	579.44	**-**	-
एमएफसी को उप पट्टे पर देना	**809.47**	48.57	**10,291.39**	9,697.71	**109.04**	690.1
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	**616.99**	212.38	**1,275.06**	1,479.13	**-**	1,266.75
अन्य	**135.75**	155.01	**4722.11**	708.38	**3.57**	1.51
कुल	**3,638.76**	3,107.52	**16,943.05**	12,464.66	**112.61**	1,958.36

41. क. कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी उसकी धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्वामित्व में है।

ख. संबंधित पक्षों के संबंध और नाम निम्नानुसार हैं :

i. धारक कंपनी : इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड।

ii. मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

निदेशक : श्री हितेश खन्ना, श्री अनिल जैन, श्री सुरजीत दत्ता और श्री ए.के.गोयल ।

अन्य: श्री सी.के.नायर, सीईओ, श्री अनिकेत खेत्रपाल, सीएफओ, सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव ।

ग. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है :

(रुपए लाख में)

क्रम सं0	विवरण	2014-15	2013-14
1.	वेतन एवं भत्ते	50.79	54.22
2.	भविष्य निधि में अंशदान*	4.34	3.22
	कुल	55.13	57.44

* नोट सं. 29 का संदर्भ लें।

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन धारक कंपनी द्वारा की गई है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक ऊपर दर्शाया गया है।

घ. संबंधित पक्ष संव्यवहार :

(रुपए लाख में)

विवरण	संव्यवहार		बकाया राशि	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक (ख उपर्युक्त)	नोट सं-41(ग) के अनुसार		शून्य	शून्य
धारक कंपनी से सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद के प्रति देय राशि	**119.50**	504.73	**102.99**	262.24
वेतन व मजदूरी, पीएफ अंशदान, यात्रा आदि के रुप में कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान	**78.36**	99.99	**219.61**	158.39
धारक कंपनी से वसूलनीय अग्रिम	**0.00**	(79.55)	**0.00**	0.00
धारक कंपनी से राजस्व आय	**2,727.19**	3,084.45	**725.57**	918.56
धारक कंपनी से ऋण*	**(1665.40)**	1,414.68	**3150.00**	4,815.40
धारक कंपनी से लिए गए ऋण पर देय ब्याज	**560.60**	682.05	**504.24**	613.84
धारक कंपनी से प्राप्त अग्रिम	**0.00**	153.58	**0.00**	2.30
धारक कंपनी से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	**2,500.00**	-	**2,500.00**	-

*वर्ष के दौरान कंपनी ने 650.00 लाख रुपए का ऋण लिया और 2315.40 लाख रुपए का पुनःभुगतान किया है।

42. 31 मार्च 2015 को कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है।

43. कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) निमय, 2006 द्वारा अधिसूचित ''परिसंपत्तियो का हानिकरण'' लेखांकन मानक 28 के अनुसार वर्ष के दौरान शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य तथा अग्रेणीत लागत के निम्नतर आधार पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियो के हानिकरण का आकलन किया है। हानिकरण रु.शून्य है।

44. वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में समाविष्ट प्रावाधानो/दरो को अपनाकर मूल्यह्रास के प्रभारण से संबंधित अपनी लेखांकन नीति मे परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए मूल्यहास 38.58 लाख रुपए कम हुआ है और कर पूर्व लाभ 38.58 लाख रुपए अधिक हुआ है।

45. कंपनी को वर्ष के दौरान कोई पूर्व अवधि आय या व्यय नहीं हुआ है।

46. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार सीएसआर के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि भारत मे अपने प्रचालनो से कंपनी को प्राप्त शुद्ध लाभ 500.00 लाख रुपए से कम है।

क.सं	विवरण	राशि(लाख रुपए में)
क	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि	शून्य
ख	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	शून्य

47. <u>ऋण लागत के पूंजीकरण के संबंध में प्रकटन</u>

कंपनी ने ऋण लागत का पूंजीकरण किया है जो प्रत्यक्ष रुप से परिसंपत्ति की लागत के भाग के रुप मे अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः (लाख रुपए में)

क.सं	परिसंपत्तियों का नाम	परिसंपत्ति की लागत के रुप में पूंजीकृत ऋण लागत	
		2014-15	2013-14
क.	बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	-	185.12
ख.	डोमैटिक टैम्पिंग मशीन (संयंत्र और मशीनरी)	-	11.03

48. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करने के लिए ''अन्य प्रभार'' शीर्ष के अन्तर्गत शुल्कों और अंशदान प्रभारों मे आरओसी शुल्क और स्टैंप ड्यूटी को भी शामिल करके 25.50 लाख रुपए बढाया गया है।

49. अन्य आय में धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से वित्त वर्ष 2013-14 के लिए श्रीलंका में भुगतान किए गए करों की प्रतिपूर्ति के रुप मे 281.65 लाख रुपए की राशि शामिल है।

50. कंपनी द्वारा किए गए किसी दीर्घकालीन संविदाओ मे कंपनी किसी प्रकार के सामग्रीगत भावी हानियों को नहीं देखती है, इसलिए, इस संबंध में किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी डैरिवेटिव संविदाओं में प्रवेश नहीं किया है।

51. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित, पुनर्व्यवस्थित तथा पुनर्निर्धारित किया गया है, जहां कही आवश्यक हुआ, ताकि इन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरुप बनाया जा सके। ( ) में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष को दर्शाते हैं।

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-
003013एन

अनिकेत खेत्रपाल	सी.के.नायर	दीपशिखा	सुरजीत दत्ता	हितेश खन्ना
सीए तरुन कुमार बत्रा	सीएफओ	सीईओ	गुप्ता कंपनी सचिव	निदेशक (डीआईएन-06687032)	अध्यक्ष (डीआईएन-02789681)
(भागीदार)					
स.सं.094318					

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.07.2015

आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
पूर्व में आर.के.बत्रा एंड कंपनी

आर.के.बत्रा
बीएससी, एफसीए

तरुण कुमार बत्रा
बी.कॉम(ऑ), एफसीए, डी-आईएसए(इंडिया), सीआईएसए(यूएसए)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य,
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणो, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिदृष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत मे सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो क अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड प्रवाह के सबंध मे वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध मे कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134(5) मे उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमिततओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियो का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकाडों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणो को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता हे और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनिम के प्रावधानो के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकाडों का अनुरक्षण भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट मे शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं , किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणो को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना इस प्रकार प्रदान करता हैं जो 31 मार्च 2015 को कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ तथा इसके रोकड प्रवाह को भारत मे सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरुप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है।

महत्वपूर्ण विषय

हम वित्तीय विवरणों के नोटों मे निम्नलिखित विषयो पर ध्यान आकर्षित करते हैः

क. वित्तीय विवरण का नोट सं.29, जो उल्लेख करता है कि कंपनी में कार्यरत व्यक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं और वे अपनी धारक कंपनी के रोल पर हैं और इसलिए, लेखांकन मानक -15 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों का उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान धारक कंपनी द्वारा किए जाएंगे।

इन विषयों के संबंध में हमारो विचार मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुच्छेद 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2015 (आदेश) द्वारा अपेक्षित अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अनुच्छेद 143(5) के अतर्गत यथोपेक्षित उप-निदेशों पर रिपोर्ट अनुलग्नक । एवं ।। पर संलग्न है।

3. 3 अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं किः

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण बही खातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 केसाथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

(ड.) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड मे लिए गए 31 मार्च 2015 को निदेशको से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर किसी भी निदेशक को अधिनियम के अनुच्छेद 164 (2) के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2015 को निदेशक के रुप मे नियुक्त होने से अयोग्य नहीं किया है।

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध मे, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणो मे अपनी वित्तीय स्थित पर लंबित मुकदमो के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरणो के नोट सं. 23 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी ने डैरिवेटिव संविदाओ सहित दीर्घकालीन संविदाओ पर सामग्रीगत भावी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानूनो या लेखांकन मानको के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधान किए है, - वित्तीय विवरणो के नोट सं. 50 का संदर्भ लें और

iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि मे किसी प्रकार की राशि हस्तांतरित करने के लिए रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी में कोई अवसर नही आया है। ऐसी राशियों के हस्तांतरण मे विलंब का प्रश्न नहीं उठता।

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएम -003013एन

(सीए. तरुन कुमार बत्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 094318

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27.07.2015

आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
पूर्व में आर.के.बत्रा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखो पर इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यो को समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षको रिपोर्ट के "अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं" के पैरा 1 में संदर्भित अनुबंध। हम उल्लेख करते हैं किः

1. (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

   (ख) हमें उल्लेख किए अनुसार, कंपनी की प्रकिया के अनुसार, युक्तिसंगत अंतराल पर चरणबद्ध सत्यापन कार्यकम मे प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

2. (क) कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है।

   (ख) चूंकि कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है, इसलिए उनके वास्तविक सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता।

   (ग) चूंकि कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है इसलिए इन्वेंटरी के किसी रिकार्ड के अनुरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है।

   इसलिए आदेश के पैरा 4 के खंड (iii) (क), (iii) (ख) कम्पनी पर लागू नहीं होती।

4. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति इनवेंटरी और स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और प्रकाशन और अन्य सहायक सेवाओ की बिक्री को देखते हुए पर्याप्त आंरम्भिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त, बहियों की हमारी जांच के आधार पर और कंपनी की बहियों और रिकार्डों के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर ना ही हमने उपर्युक्त आंतरिक प्रकियाओं मे प्रमुख खामियो को ठीक करने मे कोई निरंतर विफलता पाई है ना ही ऐसी कोई सूचना दी गई है।

5. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 73 से 76 के अंतर्गत जनसाधारण से काई धनराशि प्राप्त नही की है।

6. हमे प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि, कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 (1) के अंतर्गत कोई लागत रिकार्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

7. क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार कम्पनी सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय के संबंध में नीचे उल्लिखित को छोडक़र इनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित देय नहीं है जिसे 31.03.2015 को जमा नहीं कराया गया है।

सांविधि कीप्रकृति	राशि संबंधी अवधि	देय की प्रकृति	राशि	फोरम जहां विवाद लंबित है
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि मे किसी प्रकार की राशि हस्तांतरित करने के लिए रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी में कोई अवसर नही आया है। ऐसी राशियों के हस्तांतरण मे विलंब का प्रश्न नहीं उठता।

8. कंपनी को वित्त वर्ष की समाप्ति पर कोई संचित हानियां नहीं हुई हैं और हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर वित्त वर्ष के दौरान तथा इसके तत्काल पूर्व वाले वित्त वर्ष में किसी प्रकार की रोकड़ हानि नहीं हुई है।
9. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों के प्रति कोई देय राशि लंबित नहीं है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 के खंड 4 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
10. कंपनी ने उन शर्तों और निबंधनों पर बैंको और वित्तीय संस्थानो से अन्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है जो कंपनी के हित के विपरीत हो।
11. कंपनी द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं लिया गया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 के खंड 4 (xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
12. भारत मे सामान्य रुप से स्वीकृत पद्धति के अनुसार कंपनी की बहियों और रिकार्डों की जांच के दौरान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने कंपनी पर या कंपनी द्वारा जालसाजी को कोई मामला नहीं देखा है और ना ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएम -003013एन

(सीए तरुन कुमार बत्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 094318

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27.07.2015

आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
पूर्व में आर.के.बत्रा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वर्ष (2014-15) के लिए (इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड) के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जांच किए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013के अनुच्छेद 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर रिपोर्ट

अनुबंध-।।

क.सं	विवरण	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1.	यदि कंपनी को विनिवेश के लिए चुना जाता है तो विनिवेश प्रकिया के माध्यम तथा वर्तमान स्तर सहित परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियो और भूमि सहित) तथा देयताओ (प्रतिबद्ध और सामान्य आरक्षित सहित) के मूल्यशंकन के संबंध मे एक सम्पूर्ण स्थिति रिपोर्ट।	लागू नहीं है। कंपनी को विनिवेश के लिए नहीं चुना गया है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि,....यदि कोई हो, मे छूट/बट्टा खाता डाले जाने को काई मामला है। इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।	ऐसा कोई मामला नहीं है।
3.	क्या पक्षों के पास पडी इंवेटरीज तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार के रुप में प्राप्त परिसंपत्तियो का उचित रिकार्ड रखा गया है?	कंपनी की कोई इंवेंटरी नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी तीसरे पक्ष के पास कोई इंवेंटरी नहीं पडी है। सरकार या अन्य प्राधिकारियों से परिसंपत्तियों के रुप में कोई उपहार प्राप्त नहीं हुए हैं।
4.	सभी विधिक मामलो (विदेशी और स्थानीय) के लंबित होने के कारण तथा उनकी उपस्थिति और इनपर व्यय के लिए मॉनीटरिंग तंत्र सहित आयुवार विश्लेषण/मध्यस्थता मामलो पर रिपोर्ट	शून्य

तारीख : 27.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएम -003013एन

सी.ए. तरुन कुमार बत्रा
भागीदार
सदस्यता सं. 094318

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1.	भूमि क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड भूमि के लिए कमशः क्लियर टाइटल/पट्टा करार है? यदि हां, कृपया फ्रहोल्ड और लीजहोल्ड के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए टाइटल/पट्टा करार उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास फ्री होल्ड/लीज होल्ड भूमि के लिए कोई फ्रीहोल्ड या पट्टा करार नहीं है।
2.	शेष की पुष्टि क्या (क) व्यापार प्राप्यों (ख) व्यापार देय (ग) ऋणों और अग्रिमों की कोई राशि है, जिसके लिए तीसरे पक्ष की पुष्टि उपलब्ध नहीं थी? क्या ऐसे शेषों की पुष्टि संबंधित पक्षों द्वारा की गई है, क्या यह वित्तीय विवरणों में संबंधित शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित राशि से व्यापक स्तर पर भिन्न है, और यदि हां तो इन अंतरों का प्रकट किया जाए।	व्यापार प्राप्यों, देयों तथा ऋणो व अग्रिमों के कुछ शेष यदि कोई हो तो, पुष्टी/सुलह/समायोजन के अधीन है। नोट 25(क) का संदर्भ लें। दुर्विनियोजन योग्य कोई अंतर नहीं है।
3.	जमा राशियों का पुनर्विनियोजन क्या कंपनी द्वारा सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, बिक्रीकर (वेट), सेवा कर तथा अन्य प्राधिकारियों को किए गए भुगतान/अग्रिमों का संबंधित प्राधिकारियों के साथ सत्यापन तथा विनियोजन किया गया है?	इन्हें रिटर्न और रिकार्डों से सत्यापित किया गया है। यह अंतर दायर किए गए सेवा कर रिटर्नों में भी प्रदर्शित है, जिसके संबंध में हमें सूचित किया गया है कि इसे संशोधित कर दिया गया है।
4.	कर्मचारी लाभ बीमांकिक को उपलब्ध कराई कई सूचना/जानकारी का स्वतंत्र सत्यापन किया जाए अर्थात कर्मचारियों की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्ति आयु तथा रियायती दर, भावी लागत वृद्धि, मृत्यु दर आदि के संबंध में बीमांकिक द्वारा किए गए अनुमान, ताकि उपदान, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों आदि के लिए प्रावधान किए जा सकें।	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के लिए कार्यरत कर्मचारी प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड(घारक कंपनी) के रोल पर हैं। उनका भविष्य निधि अंशदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को अपनी धारक कंपनी से इनवाइस/ऋण पत्र के आधार पर लेखांकित किया जाता है। लेखांकन नीति 15(संशोधित) के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों

		के लिए प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा लेखांकन नीति (नोट सं.1 बिंदु सं xvii) के अनुसार किया जा रहा है, इसलिए, कंपनी द्वारा बीमांकिक को कोई सूचना नहीं भेजी गई है क्योंकि धारक कंपनी द्वारा ऐसा किया गया है। नोट सं. 29 का संदर्भ लें।

तारीख : 27.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएम -003013एन

सी.ए. तरुन कुमार बत्रा
भागीदार
सदस्यता सं. 094318

आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
पूर्व में आर.के.बत्रा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर.के.बत्रा तरुण कुमार बत्रा

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने वर्ष (2014-15 के लिए) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के लेखों की लेखापरीक्षा की है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों अनुसार प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निदेशें/उप निदेशों का अनुपालन किया है।

तारीख : 27.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएम -003013एन

सी.ए. तरुन कुमार बत्रा
भागीदार
सदस्यता सं. 094318

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों क अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 28.07.2015 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों पर पहुंच प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रुप से की गई है और यह प्राथमिक रुप से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जांचों, कंपनी के कार्मिकों और लेखांकन रिकार्डों के कुछ चुनिंदा जांचों तक ही सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे`संज्ञान में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत करता है या उसके अनुपूरक में है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(दिनेश भार्गव)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (रेलवे वाणिज्यिक)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 11.09.2015

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

प्लाट सं. -सी 4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

सीआईएनः यू45400डीएल2009जीओआई194792

उपस्थिति पर्ची

सदस्य/प्रॉक्सी का नाम :

(मोटे अक्षरों में)

सदस्य/प्रॉक्सी का पता :

फॉयल सं. :

धारित शेयरों की संख्या :

मैं प्रमाणित करता हूं कि में कंपनी के सदस्य के लिए एक सदस्य/प्रॉक्सी हूं।

मैं एतद्द्वारा प्लाट सं. -सी 4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में दिनांक 21 सितंबर 2015 को 14:00 बजे (सोमवार) को कंपनी में आयोजित 6वीं वार्षिक साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

_____

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नोटः

कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें व हस्ताक्षर करें तथा बैठक स्थल के प्रवेश में इसे सौंप दें।